

JAWAHARLAL NEHRU KRISHI VISHWA VIDYALAYA  
JABALPUR

97/Estt.II (130)

Dated the 29th January, 1963.

ORDER

On the recommendations of the Selection Committee, the following candidates are hereby appointed as Agricultural Assistant (General Division) in the scale of pay Rs. 280-10-350-12½-400-EB-20-480 and posted to posts as indicated below from the date they report themselves on duty on terms and conditions appended. Their salaries be drawn from the budget head mentioned against each.

No.	Name	Place of posting	Budget head
	Shri H.K. Bajpai	KN Farm, Adhartal	D-3 Livestock Farm
	" V.K. Shukla	Vice Shri VK Tiwari Res. Farm Powarkheda	(NP) Jabalpur CI(41) Project Project under Tawa (State Plan)
	<b>A.K. Jain</b>	Vice Shri SK Waghmare <u>College of Agri. Farm, Sehore, vice Shri RS Indoria.</u>	B(a) -5 Agri. Faculty (Non-Plan)
	" M.K. Khatare	Agri. College, Rewa	B(a)-5 Agri. Faculty (Non-Plan)
	" H.D. Verma	KN Farm, Jabalpur vice Shri SM Gangrade	D- (1) Agri. Farming Farm (N.P.)
	" D.N. Shrivastava	Soil Testing, Indore vice Shri BC Jain	C-I (5) Soil Testing (NP)
	" M.K. Dubey	College Farm, Raipur	B(a) 4 Agri. Faculty (Non Plan)
3.	" R.K. Rao	NARP, Jagadapur	NARP, Jagadapur against the post of supervisor
9.	" N.K. Choubey	TFP Powarkheda	C-1(4) TFP (State Plan)
10.	" U.S. Bose	College Farm, Gwalior	D Farm (2) Res. Farm, Gwalior.
11.	" S.K. Chakraborty	TFP Powarkheda vice Shri A.K. Kostha	C-I (41) TFP (State Plan)

2. They will have to join within 15 days from the date of issue of this order failing which the orders will be treated as cancelled.

REGISTERED

481  
3/2/63

14

## जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

कमांक स्था.दो/बी/2008/33

दिनांक 14/08/2008

### // आदेश //

म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 332/410/08/1/3 भोपाल दिनांक 23.02.2008, क्रमांक सी-3-10/3/3/एक दिनांक 01.04.2003 एवं म0प्र0 शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पत्र क्रमांक 1780/1838/08/14-2, भोपाल दिनांक 22.07.2008 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में विश्वविद्यालय में कार्यरत निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसानुसार सहायक श्रेणी-III के पद पर वेतनमान रु. 3050-75-3950-80-4590/- में पदोन्नत कर उन्हें उनके नाम के सम्मुख दर्शित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक	नाम	श्रेणी	वर्तमान पदस्थापना स्थल	पदोन्नति पर नवीन पदस्थापना स्थल
1.	श्री घनश्याम प्रसाद केवट, भृत्य	सामान्य	लेखनियंत्रक कार्यालय, जबलपुर	लेखनियंत्रक कार्यालय, जबलपुर
2.	श्री रमेश बाथम, चौकीदार	सामान्य	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर
3.	श्री जयसिंह, भृत्य	अ.ज.जा.	कृषि महाविद्यालय, इन्दौर	कृषि महाविद्यालय, इन्दौर
4.	श्री शिवनाथ पटेल, लेबकीपर	सामान्य	रसायन विभाग, जबलपुर	रसायन विभाग, जबलपुर
5.	श्री प्रेमनारायण यादव, पत्रवाहक	सामान्य	कृषि महाविद्यालय, टीकमगढ़	कृषि महाविद्यालय, टीकमगढ़
6.	श्री रामलाल दहायत, भृत्य	अ.जा.	कृषि महाविद्यालय, जबलपुर	कुलसचिव कार्यालय, जबलपुर
7.	श्री जी.पी.विश्वकर्मा, भृत्य	सामान्य	डिण्डोरी	डिण्डोरी (स्टेट प्लान)
8.	श्री चन्द्रिका प्रसाद पाण्डे, भृत्य	सामान्य	मृदा विज्ञान विभाग, जबलपुर	मृदा विज्ञान/रसायन विभाग, जबलपुर
9.	श्री अनिल कुमार बिछेले, भृत्य	अ.ज.जा.	पिंग प्रोजेक्ट, जलबपुर	पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय, जबलपुर।
10.	श्री प्रमोद कुमार तिवारी, पत्रवाहक/माली	सामान्य	कृषि महाविद्यालय, टीकमगढ़	कृषि महाविद्यालय, टीकमगढ़
11.	श्री हरिनारायण शर्मा, भृत्य	सामान्य	कृषि अर्थ शास्त्र, जलबपुर	कृषि अर्थ शास्त्र, जलबपुर
12.	श्री मोतीलाल, मेट	अ.जा.	कृषि अभियांत्रिकी, जबलपुर	कृषि अभियांत्रिकी, जबलपुर
13.	श्री मधुवन्त दुबे, भृत्य	सामान्य	पौध रोग विभाग, जलबपुर	विस्तार शिक्षा विभाग, जलबपुर
14.	श्री ग्लेडवीन मसीह लेबकीपर	अ.ज.जा.	जबलपुर	अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, जबलपुर
15.	श्री बाबूलाल राजपूत, भृत्य	सामान्य	आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, आरोन	आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, आरोन

क्रमशः 2 :

क्रमांक	नाम	श्रेणी	वर्तमान पदस्थापना स्थल	पदोन्नति पर नवीन पदस्थापना स्थल
16.	श्री नन्द किशोर तिवारी, भृत्य	सामान्य	पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय, रीवा।	पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय, रीवा।
17.	श्री रतनलाल, भृत्य	अ.जा.	अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, इन्दौर	अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, खण्डवा
18.	श्री सुन्दर लाल राठौर, चौकीदार	सामान्य	कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़	कृषि महाविद्यालय, टीकमगढ़
19.	श्री एन.डी.अंसारी, पोल्ट्री अटेन्डेंट	सामान्य	पोल्ट्री प्रोजेक्ट, जबलपुर	पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय, जबलपुर।
20.	श्री सुरेन्द्र कुमार मरावी, माली (प्लाक मेन)	अ.ज. जा.	लेखनियंत्रक कार्यालय, जबलपुर	लेखनियंत्रक कार्यालय, जबलपुर
21.	श्री गरीबा प्रसाद महोबिया, भृत्य	सामान्य	संचालनलय विस्तार सेवाएं, जबलपुर	संचालनलय विस्तार सेवाएं, जबलपुर
22.	श्री विश्राम सिंह पटेल, भृत्य	सामान्य	अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, जबलपुर	अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, जबलपुर
23.	श्री घनश्याम जाटव, भृत्य	अ.जा.	आरोन, गुना	कृषि महाविद्यालय, गजबसौदा
24.	श्री रामनिवास शर्मा चौकीदार	सामान्य	कृषि महाविद्यालय, रीवा	पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय, रीवा।
25.	श्री खडक सिंह धुर्वे, लाइब्रेरी शार्टर	अ.ज. जा.	विश्वविद्यालय पुस्तकालय, जबलपुर।	विश्वविद्यालय पुस्तकालय, जबलपुर।
26.	श्री मणिप्रसाद तिवारी, भृत्य	सामान्य	कृषि महाविद्यालय, रीवा	पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय, रीवा।
27.	श्री बी.पी.सन्नोदिया भृत्य	सामान्य	कृ.वि.केन्द्र सिवनी	कार्यपालन यंत्री, जबलपुर
28.	श्रीमती रामकुमारी भार्गव, भृत्य	सामान्य	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर
29.	श्री अशोक कुमार व्यास, लाइब्रेरी शार्टर	सामान्य	कृषि महाविद्यालय, सीहोर	कृषि महाविद्यालय, सीहोर
30.	श्री नारायण सिंह वर्मा, चौकीदार	अ.जा.	आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, उज्जैन	आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, उज्जैन
31.	श्री कमल सिंह राजपूत, पत्रवाहक/माली	सामान्य	आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, मुरैना	आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, मुरैना
32.	श्री गजेन्द्र सिंह, भृत्य	सामान्य	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर
33.	श्री मोहनलाल शर्मा, भृत्य	सामान्य	पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय, महु।	पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय, महु।

उपरोक्त कर्मचारियों को राज्य शासन के निर्देशानुसार पदोन्नति दो वर्ष की परीक्षण अवधि पर इस शर्त के साथ की जाती है कि वे मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करें तथा कम्प्यूटर संचालन की योग्यता प्राप्त करें। यदि दो वर्ष की परीक्षण अवधि में संबंधित कर्मचारी द्वारा यह योग्यता प्राप्त नहीं कर ली जाती है तो उन्हें उनके मूल चतुर्थ श्रेणी के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जावेगा। 45 वर्ष की अधिक आयु के, संबंधित पदोन्नत कर्मचारियों को उक्त शर्त से मुक्त किया जाता है।

क्रमशः 3 :

4

: 3 :

उपरोक्त कर्मचारियों के निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिवस की समयावधि में पद स्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त मना जावेगा, तथा संबंधित कर्मचारियों को आगामी तीन वर्षों के लिये अगली पदोन्नति से वंचित (Debarred) रखा जावेगा। क्रमोन्नति नियमों में उल्लेखित प्रावधानानुसार यदि कोई शासकीय सेवक पदोन्नति का परित्याग करता है तो उसी पदोन्नति के एवज में पूर्व में स्वीकृत क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ भी समाप्त हो जावेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय में म0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1984 (क्रमांक 21 सन् 1994) और म0प्र0 लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबन्धों और अधिनियम के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 06 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

कुलपतिजी के आदेशानुसार,

सही  
कुलसचिव

दिनांक 14/08/2008

पृष्ठांकन क्रमांक स्था.दो/बी/2008/234  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. संचालक, अनुसंधान सेवाएं/विस्तार सेवाएं/प्रक्षेत्र/उपकरण/शिक्षण, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, जबलपुर/रीवा/ग्वालियर/टोकमगढ़/इन्दौर/खण्डवा/सीहोर/गंजबसौदा।
3. अधिष्ठाता, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर।
4. अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय, जबलपुर/रीवा/महु।
5. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. विभागाध्यक्ष, रसायन विभाग/मृदा विज्ञान विभाग/कृषि अर्थ शास्त्र एवं प्रक्षेत्र प्रबंध विभाग/मौध रोग विभाग/विस्तार शिक्षा विभाग, कृषि महाविद्यालय, जबलपुर।
7. विभागाध्यक्ष, कुटकुट परियोजना, पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय, जबलपुर।
8. प्रभारी अधिकारी सूकर परियोजना, पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय, जबलपुर।
9. आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, आरोन/उज्जैन/मुरैना।
10. कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, डिण्डीरी/सिवनी।
11. प्रभारी, केन्द्रीय पुस्तकालय, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
12. कार्यपालन यंत्री, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
13. सहायक कुलसचिव स्थापना/सामान्य, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
14. माननीय कुलपतिजी/कुलसचिवजी, के निजसचिव, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
15. अनुभाग अधिकारी, स्थापना शाखा दो/गोपनीय/भविष्य निधि/बजट एवं वित्त/पेंशन, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
16. संबंधित व्यक्ति श्री अशोक कुमार, सहायक कुलसचिव, सीहोर
17. सुरक्षा नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती।

सहायक कुलसचिव

ORE (M.P.)

Dated 5/12/85

Director of Agriculture

Sehore (M.P.)

JNKVV-ZONAL AGRICULTURAL RESEARCH STATION,  
RAK-COLLEGE OF AGRICULTURE, SEHORE

No. 3579/ADRS/Estt-II/85-95(4)

The 11th September, 1985

// ORDER //

1.10.85

Mak  
11/10/85

On the recommendations of the Selection Committee, the following persons are appointed temporarily until further orders on the post of Laboratory Attendant, in the pay-scale of Rs. 445-10-575-635 and posted at the places against their names with effect from the date they report themselves for duty on the terms and conditions appended. All the service conditions will be governed by the rules and regulations of JNKVV. They should report for duty to respective places of their posting within 15 days from the date of issue of this order, failing which the order will stand cancelled.

S.No.	Name/Address	Post	Place of posting
1.	Mr. Gajraj Prasad Rajak Village-Maharajpur, Adhartal, JABALPUR	Lab. Attendant	Pulse Improvement Project, ZARS, SEHORE
2.	Mr. Mahesh Kumar Shrivastava, Ambah Road Near Cungi Naka Ram Nagar MORENA	Lab. Attendant	NARP, Sub-project ZARS-SEHORE
3.	Mr. Prem Narain C/o Post Office Village-Bhinsa District-SAGAR	Lab. Attendant	Pulse Improvement Project, ZARS, SEHORE
4.	Mr. Satyendra Singh Deora, C/o Mr. Ratan Singh RAK-College of Agriculture, SEHORE	Lab. Attendant	RAK-College of Agriculture, SEHORE
5.	Mr. Lok Chand Patle, S/o Eudharji Patle Deptt. of Plant Breeding and Genetics, (RICE SCHEME) JNKVV, JABALPUR	Lab. Attendant	Pulse Improvement Scheme, ZARS SEHORE
6.	Mr. Ashok Kumar Vyas, C/o Mr. K.N. Vyas, Deptt. of Entomology (Library Sorter) RAK-College of Agriculture SEHORE	Lab. Attendant	RAK-College of Agriculture, SEHORE

Project Lib

10/10/85

Mak  
11/11/85

(R.A. KHAN)  
ASSOCIATE DIRECTOR RESEARCH



// आदेश //

श्री अनिल कुमार विश्वकर्मा आत्मज श्री रामखिलावन विश्वकर्मा, को चयन समिति की अनुशंसानुसार इलेक्ट्रीशियन के पद पर वेतनमान रु. 3500-75-3950-80-5200/- पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदस्था किया जाता है।

2. नियुक्ति की शर्तें एवं नियम निम्नानुसार होगी :-

- (अ) आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र जॉचोंपरान्त गलत या असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।
- (ब) इस आदेश के प्रसारित होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देवे, अन्यथा ये बिना सूचना के स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- (स) यह नियुक्ति दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर की जा रही है। दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि-सामप्ति पर कार्यो के मूल्यांकन के आधार पर परीवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियुक्ति नियमित की जा सकेगी तथा तत्पश्चात ही आगामी वेतनवृद्धि की पात्रता होगी। परीवीक्षा काल अवधि में इलेक्ट्रीशियन के पद का न्यूनतम वेतनमान देय होगा।
- (द) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह के वेतन जमा करने पर समाप्त की जा सकती है, यह शर्त दोनों पक्षों को प्रभावशील रहेगी।
- (इ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने के समय तत्संबंधित सक्षम अधिकारी को आर्हता संबंधित मूल दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाण-पत्र, M0PRO मूल निवासी प्रमाण-पत्र एवं विकलांग प्रमाण-पत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (क) उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह की समयावधि में विश्वविद्यालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसका वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम पाया जाता है तो उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
- (ख) उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कराया जावेगा। यदि चरित्र संबंधी प्रतिकूल टीप प्राप्त होती है, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जावेगी।
- (ग) उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
- (घ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जावेगी।
- (च) उक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम के विद्यमान नियमों एवं सेवा शर्तों तथा समय-समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अधीन होगी।
- (छ) उपरोक्त पद पर नियुक्त कर्मचारियों को शासन द्वारा घोषित परिभाषित अशंदांन पेंशन योजना प्रभावशील होगी।
- (ज) उम्मीदवार की सेवाएं विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली किसी भी इकाई/योजना में स्थानांतरित की जा सकेगी।

3. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक-121 सन् 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

कुलपतिजी के आदेशानुसार

सहायक

कुलसचिव

दिनांक 29/03/2008

क्रमांक स्था.दो./ (1)/2008/ 49

प्रतिलिपि सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

1. संचालक अनुसंधान सेवाएं, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर-। कृपया श्री अनिल कुमार विश्वकर्मा का वेतन बजट शीर्ष B (6)11, College of Horticulture, Mandsaur में उपलब्ध इलेक्ट्रीशियन के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करें एवं नियुक्ति शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जाँच अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
3. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
4. सहायक लेखानियंत्रक भविष्य निधि/बजट एवं वित्त/पेंशन/गोपनीय, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. सहायक कुलसचिव (सामान्य), ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. माननीय कुलपतिजी/कुलसचिव के निज सचिव, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
7. संबंधित अभ्यार्थी श्री अनिल कुमार विश्वकर्मा आत्मज श्री रामखिलावन विश्वकर्मा, पुरानी बस्ती पचगांव रोड बंगाली क्लीनिक के सागने शहडोल जिला-शहडोल (M0PRO) 484001। कृपया पदभार ग्रहण करने के पूर्व यदि किसी संस्था/विभाग में कार्यरत है तो उस संस्था/विभाग से कार्यमुक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी।
8. व्यक्तिगत नस्ती/सुरक्षा नस्ती।

Handwritten signature

## राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

क्र./कु.स./स्था.दो/2018/1495

दिनांक: 21/11/2019

### आदेश

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3-12/2013/1/3, दिनांक 29 सितम्बर 2014 में निहित निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत स्व. श्री भगवानदास मालवीय, फर्रास, फल अनुसंधान केन्द्र, ईटखेड़ी का आकस्मिक निधन दिनांक 25.12.2017 को होने के फलस्वरूप इनके पुत्र श्री अरविन्द मालवीय की अनुकम्पा नियुक्ति मृत्यु के पद पर पे बैंड रु. 4440-7440+1300 (7 वेतनमान लेवल-1) में अनुसूचित जाति के अन्तर्गत अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन की जाकर पदस्थापना उनकी उपस्थिति दिनांक से कार्यालय अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, सीहोर के अधीन की जाती है।  
नियुक्ति की शर्तें एवं प्रतिबंध निम्नानुसार हैं—

1. यह नियुक्ति आदेश पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
2. उक्त शपथ-पत्र के अतिरिक्त सेवा में उपस्थिति प्रस्तुत करने के समय आपको यह शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा की पूर्व से आप शासकीय सेवा में नहीं हैं और न ही दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र सदस्य पूर्व से किसी भी शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा/निगम, मण्डल परिषद, आयोग आदि में कार्यरत नहीं हैं। आप दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित समस्त सदस्यों का भरण-पोषण करेंगे। उपरोक्तानुसार उक्त बिन्दुओं का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आपकी उपस्थिति मान्य की जा सकेगी। शपथ-पत्र एवं उक्त बिन्दुओं की जानकारी न देने के अभाव में आपका अनुकम्पा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
3. कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिला चिकित्सा बोर्ड का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण-पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारी से चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों सहित पदस्थी कार्यालय में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को एक बार अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने पर किसी अन्य पद पर नियुक्ति का निवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा और न ही अनुकम्पा नियुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित की जावेगी। यह नियुक्ति आवेदक द्वारा लिखित सहमति के आधार पर दी जा रही है।
5. नियुक्ति के पश्चात् चरित्र सत्यापन में यदि यह पाया जाता है कि वह शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है तो उसे दी गई अनुकम्पा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
6. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जाती है कि आवेदक दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यह प्रमाणित हो जावेगा कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है, तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जावेगी।
7. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता जमा कराने पर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं, तो यह समझा जावेगा कि इन्होंने इस अनुपस्थिति के दिनांक से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उन्हें एक माह का या नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम हो, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ता का भुगतान करना होगा।
8. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जा रही है कि चयनित अविवाहित व्यक्ति द्वारा निर्धारित आयु के बाद ही विवाह किया है। यदि यह पाया गया कि संबंधित चयनित व्यक्ति द्वारा न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया गया हो तो उसका/उसकी अनुकम्पा नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
9. कोई भी चयनित उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी कोई स्त्री पदाभिलाषी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी की एक पत्नी पूर्व से जीवित है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तथा उसकी अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
10. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के अपराध के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, अनुकम्पा नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तथा उसकी अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
11. उम्मीदवार को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनांक से वे सभी शर्तें म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं शासनादेश मान्य होंगे जो समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जा चुके हैं अथवा जारी किये जावेंगे।

// 2 //

उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता की मूल अंक सूचियाँ इत्यादि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदक को आदेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर पदस्थी स्थान (कार्यालय) में अनिवार्य रूप से उपस्थिति होकर, कार्यालय प्रमुख को उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाए और उन्हें लागू किया जाये के अधीन रहेगा। उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।

प्रमाणित किया जाता है मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार

(डी.एल. को.सी.)

कुलसचिव

दिनांक: 21/11/2019

पृष्ठा. क्र./कु.स./स्था.दो/2018/1496  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1 अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।

2 लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।

3 अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, सीहोर संदर्भित अनुकम्पा नियुक्ति का आदेश सशर्त जारी किया गया है। अतः चयनित दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित को शासकीय सेवा में उपस्थित कराने के पूर्व पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में शपथ-पत्र/पूर्व से आवेदक के शासकीय सेवा में नही होने एवं दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र सदस्य पूर्व से किसी भी शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय/सेवा/निगम, मण्डल, परिषद, आयोग आदि में कार्यरत नही होने एवं दिवंगत शासकीय शासकीय सेवक के आश्रित समस्त सदस्यों का भरण-पोषण करने एवं नियुक्ति प्राप्त करने वाली महिला यदि अविवाहित है तो उन्हें शादी-शुदा नही होने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही कार्यालय में उपस्थिति मान्य करें। यदि यह पाया गया कि वांछित अभिलेखों के अभाव में आपने किसी अभ्यर्थी को उत्तरदायी ठहराये जायेंगे एवं गलत व्यक्ति को शासकीय सेवा में उपस्थित कराये जाने के फलस्वरूप आपके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं अपात्र व्यक्ति को भुगतान की गई राशि आपसे व्यक्तिगत वसूली योग्य होगी।

4. उप लेखानियंत्रक, भविष्य निधि/अनुभाग अधिकारी/सामान्य/पेंशन/बजट एवं वित्त/गोपनीय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।

5. उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर

6. श्री अरविन्द मालवीय पुत्र स्व. श्री भगवानदास मालवीय, बजरंग कॉलोनी इन्दौर नाका सीहोर (म.प्र.)।

7. निजसचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।

8. आदेश नस्ती/सुरक्षा नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती।

कुलसचिव

RECIPT  
No. 1851 Date 23/11/19  
D.A.K. College of Agriculture  
Sehore

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

क्र. / कु.स. / स्था.दा / 2021 / 1111

दिनांक: 03.08.2021

आदेश

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3-12/2013/1/3, दिनांक 29 सितम्बर 2014 एवं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. सी 3-13/2019/3/एक, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 में निहित निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत स्व. श्री सुनील कुमार टोरिया, सहायक श्रेणी-II, आर.ए.के. कृषि महाविद्यालय, सीहोर का आकस्मिक निधन दिनांक 18.01.2019 को होने के फलस्वरूप इनके पुत्र श्री आयुष कुमार टोरिया की अनुकम्पा नियुक्ति सहायक ग्रेड-3 के पद पर पे बैंड रु. 5200-20200+1900 (7 वेतनमान लेवल-4) में परिवीक्षा अवधि पर वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03 (तीन) वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर उपस्थिति दिनांक से पदस्थापना कार्यालय अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन की जाती है।

नियुक्ति की शर्तें एवं प्रतिबंध निम्नानुसार हैं-

1. यह नियुक्ति आदेश पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
2. उक्त शपथ-पत्र के अतिरिक्त सेवा में उपस्थिति प्रस्तुत करने के समय आपको यह शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा की पूर्व से आप शासकीय सेवा में नहीं हैं और न ही दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र सदस्य पूर्व से किसी भी शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा/निगम, मण्डल परिषद, आयोग आदि में कार्यरत नहीं हैं। आप दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित समस्त सदस्यों का भरण-पोषण करेंगे। उपरोक्तानुसार उक्त बिन्दुओं का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आपकी उपस्थिति मान्य की जा सकेगी। शपथ-पत्र एवं उक्त बिन्दुओं की जानकारी न देने के अभाव में आपका अनुकम्पा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
3. कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिला चिकित्सा बोर्ड का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण-पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारी से चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों सहित पदस्थी कार्यालय में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को एक बार अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने पर किसी अन्य पद पर नियुक्ति का निवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा और न ही अनुकम्पा नियुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित की जावेगी। यह नियुक्ति आवेदक द्वारा लिखित सहमति के आधार पर दी जा रही है।
5. नियुक्ति के पश्चात चरित्र सत्यापन में यदि यह पाया जाता है कि वह शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है तो उसे दी गई अनुकम्पा नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
6. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जाती है कि आवेदक दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यह प्रमाणित हो जावेगा कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है, तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जावेगी।
7. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता जमा कराने पर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं, तो यह समझा जावेगा कि इन्होंने इस अनुपस्थिति के दिनांक से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उन्हें एक माह का या नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम हो, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ता का भुगतान करना होगा।
8. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जा रही है कि चयनित अविवाहित व्यक्ति द्वारा निर्धारित आयु के बाद ही विवाह किया है। यदि यह पाया गया कि संबंधित चयनित व्यक्ति द्वारा न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया गया हो तो उसका/उसकी अनुकम्पा नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
9. कोई भी चयनित उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी कोई स्त्री पदाभिलाषी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी की एक पत्नी पूर्व से जीवित है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तथा उसकी अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
10. कोई भी उम्मीदवार जिस महिलाओं के अपराध के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो अनुकम्पा नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तथा उसकी अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

Handwritten signature and initials.

3194  
३.३.२१  
21/1/21

(01)

//2//

11. उम्मीदवार को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनांक से वे सभी शर्तें म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं शासनादेश मान्य होंगे जो समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जा चुके हैं अथवा जारी किये जावेंगे।
12. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता की मूल अंक सूचियाँ इत्यादि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. आवेदक को आदेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर उपस्थिति स्थान (कार्यालय) में अनिवार्य रूप से उपस्थिति होकर, कार्यालय प्रमुख को उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
14. राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों का लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाए और उन्हें लागू किया जाये के अधीन रहेगा।
15. उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
16. MAP-IT से CPCT Score card तथा कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण-पत्र म.प्र. शासन सा.प्र.वि. के पत्र क्रमांक सी-3-8/2003/1/3 दिनांक 01.07.2013 में उल्लेखित (1) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, (2) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, (3) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, (4) शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजेंट कोर्स, (5) शासकीय आई.टी. आई. द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग अस्टैंट (COPA) प्रमाण-पत्र में से किसी एक संस्था से उर्तीण किये जाने हेतु 3 वर्ष की अवधि निर्धारित है दी गई अवधि में निर्धारित संस्थानों से परीक्षा उर्तीण न करने की स्थिति में आपकी सेवाये स्वतः समाप्त हो जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर दिया है।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार

कुलसचिव

दिनांक: 02/03/2021

पृष्ठा. क्र./कु.स./स्था.दो/2021/4430

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।

2. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।

3. अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर संदर्भित अनुकम्पा नियुक्ति का आदेश सशर्त जारी किया गया है। अतः चयनित दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित को शासकीय सेवा में उपस्थित कराने के पूर्व पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में शपथ-पत्र/पूर्व से आवेदक के शासकीय सेवा में नहीं होने एवं दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र सदस्य पूर्व से किसी भी शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय/सेवा/निगम, मण्डल, परिषद, आयोग आदि में कार्यरत नहीं होने एवं दिवंगत शासकीय शासकीय सेवक के आश्रित समस्त सदस्यों का भरण-पोषण करने एवं नियुक्ति प्राप्त करने वाली महिला यदि अविवाहित है तो उन्हें शादी-शुदा नहीं होने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही कार्यालय में उपस्थिति मान्य करें। यदि यह पाया गया कि वांछित अभिलेखों के अभाव में आपने किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति पश्चात् उपस्थित करा लिया है, जो कि नियमानुसार पात्रता नहीं रखता है ऐसी स्थिति में आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराये जायेंगे एवं गलत व्यक्ति को शासकीय सेवा में उपस्थित कराये जाने के फलस्वरूप आपके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं अपात्र व्यक्ति को भुगतान की गई राशि आपसे व्यक्तिगत वसूली योग्य होगी।

4. उप लेखानियंत्रक, भविष्य निधि/अनुभाग अधिकारी/सामान्य/पेंशन/बजट एवं वित्त/गोपनीय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।

5. उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर/कार्यालयीन स्थापना शाखा-II

6. श्री आयुष कुमार टोरिया, प्रभात इंजीनियरिंग वर्क्स के पीछे, बजरंग कालोनी इन्दौर नाका सीडॉर (म.प्र.)

7. निजसचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर।

8. आदेश नस्ती/सुरक्षा नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती।

कुलसचिव

BH/ PDD  
1/3/21

371  
19/7/94  
SEHORE  
JABALPUR  
JABALPUR KRISHI VISHVA VIDYALAYA  
J A B A L P U R

3

No. Estt.II/(173)/94/2060 Dated, the 8th/July,94

// B B B B B //

Shri Babu Khan, s/o Late of Shri Jhabboo Khan, Laboratory Attendant, College of Agriculture, Sehore, is appointed on compassionate ground as Peon in the scale of pay B. 730-12-570-15-045/- and posted at the College of Agriculture, Sehore, temporarily, until further orders, with effect from the date he reports on duty, on the terms and conditions appended.

He should report on duty at his place of posting within 15 days from the date of issue of this order, failing which the order will be treated as cancelled.

By order of the Vice-Chancellor,

(K.M.Shandilya)  
Registrar

No. Estt.II/(173)/2061 Dated, the 8th July, 1994

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. The Collector, Jabalpur District, Jabalpur
2. The Director of Research Services, JNKVV, Jabalpur
3. The Dean, College of Agriculture, Sehore. The salary of Shri Babu Khan may be drawn from the post of Laboratory Attendant (vice late Shri Jhaboo Khan) temporarily, until further orders
4. The Comptroller, JNKVV, Jabalpur
5. The P.S. to Hon.V.C./Registrar, JNKVV, Jabalpur
6. Shri Babu Khan s/o late Shri Jhaboo Khan, through the Dean, College of Agriculture, Sehore
7. Personal file/Guard file.

14  
19.7.94

87154  
Assistant Registrar (Estt.)

## राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

क्र./कु.स./स्था.-दो/2016/5380

ग्वालियर, दिनांक: 03/08/2016

### // आदेश //

चयन समिति की अनुशंसा एवं कुलपतिजी के अनुमोदनोपरान्त श्री भुवन कुमार हेड़ाऊ S/o श्री पीतमलाल हेड़ाऊ, मु. व पो. मेहन्दीवाड़ा, तह. वारासिवनी, जिला-बालाघाट (म.प्र.) को सहायक श्रेणी-3 के पद पर वेतनमान रु. 3050-75-3250-80-4590 (Revised Pay Scale PB 5200-20200+GP 1900) पर अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत चयन किया जाकर पद पर उपस्थित होने की दिनांक से अस्थायी रूप से कार्यालय अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर के अंतर्गत कृषि संकाय के प्रसार शिक्षा विभाग में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है:-


#### 2. नियुक्ति की शर्तें एवं नियम निम्नानुसार होंगी -

- (अ) आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र जॉचोपरान्त गलत या असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।
- (ब) इस आदेश के प्रसारित होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देवे, अन्यथा ये आदेश बिना सूचना के स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- (स) यह नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जा रही है। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि समाप्त कर कार्यो के मूल्यांकन के आधार पर परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियुक्ति नियमित की जा सकेगी। तत्पश्चात ही आगामी वेतनवृद्धि की पात्रता होगी। परिवीक्षा अवधि में सहायक श्रेणी-3 के पद का न्यूनतम वेतनमान देय होगा।
- (द) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह के वेतन जमा करने पर समाप्त की जा सकती है यह शर्त दोनों पक्षों को प्रभावशील रहेगी।
- (इ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थिति होने के तत्संबंधित सक्षम अधिकारी को अर्हता संबंधित मूल दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाण-पत्र, म.प्र. मूल निवासी प्रमाण-पत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (क) उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह की समयावधि में जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसका वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम पाया जाता है तो उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
- (ख) उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कराया जावेगा। यदि चरित्र संबंधी प्रतिकूल टीप प्राप्त होती है, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना सूचना के समाप्त की जावेगी।
- (ग) उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
- (घ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थिति होने की तिथि से एक माह के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी।

- (च) उक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम के विद्यमान नियमों एवं सेवा शर्तें तथा समय-समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अधीन होगी।
- (छ) उपरोक्त पद पर नियुक्त कर्मचारियों को शासन द्वारा घोषित नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 01 जनवरी 2005 प्रभावशील होगी।
- (ज) उम्मीदवार की सेवायें विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली किसी भी इकाई/योजना को स्थानांतरित की जा सकेंगी।
- (झ) नियुक्ति उपरांत, आवेदक की नियुक्ति से संबंधित कोई भी दस्तावेज यदि फर्जी या गलत पाये जाते हैं तो उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जावेगी तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।

3. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक-21 सन् 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार

  
(एम.आर. जाटव)  
कुलसचिव

पृष्ठा. क्र./कु.स./स्था.-दो/2016/5381

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिष्ठाता, कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर, कृपया नियुक्ति आदेश की शर्तों के अनुसार श्री भुवन कुमार हेड़ाऊ के सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जाँच उपस्थिति लेने के पूर्व अपने स्तर से सुनिश्चित करें।
2. निदेशक शिक्षण/अनुसंधान सेवायें/विस्तार सेवायें/योजना एवं प्रक्षेत्र विकास, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. विभागाध्यक्ष, प्रसार शिक्षा विभाग, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
4. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
6. श्री भुवन कुमार हेड़ाऊ S/o श्री पीतमलाल हेड़ाऊ, मु. व पो. मेहन्दीवाड़ा, तह. वारासिवनी, जिला-बालाघाट (म.प्र.) की ओर पालनार्थ, पदभार ग्रहण करने के पूर्व यदि किसी संस्था/विभाग में कार्यरत है तो उस संस्था/विभाग का कार्यमुक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी।
7. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. व्यक्तिगत/आदेश/सुरक्षा नस्ती।

  
उप कुलसचिव (स्था.)

6258


// आदेश //

2247103

श्री देवालचंद नारनौरे आत्मज श्री शंकराम नारनौरे निवासी बड़गाँव, बलाघाट को, आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग/कैरीफॉवर्ड पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत चयन समिति की अनुशंसा पर कारपेंटर के पद वतनमान रु. 3050-4590/- में अस्थाई रूप से नियुक्त कर उनकी पदस्थापना कृषि महाविद्यालय, सीहोर में की जाती है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर पृष्ठ 2 पर उल्लेखित शर्तों के अधीन है।

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा, (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

कुलपतिजी के आदेशानुसार,

  
कुलसचिव


पृष्ठा. क्रमांक-स्था.दो/(1)/वि.भ.अ./2003/ 2/22

दिनांक 14 जून 2003

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित :-


1. संबंधित संचालक/अधिष्ठाता संकाय/महाविद्यालय।
2. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, सीहोर। कृपया श्री नारनौरे का वेतन वजट शीर्ष B-a-6 College of Agriculture, Sehore में उपलब्ध कारपेंटर के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करें एवं नियुक्ति शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जाँच अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
3. लेखा नियंत्रक, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
4. अनुभाग अधिकारी, भविष्य निधि/गोपनीय शाखा, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
5. माननीय कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
6. संबंधित व्यक्ति श्री देवालचंद नारनौरे आत्मज श्री शंकराम, ग्राम दूलापुर पो.बड़गाँव तह. लाँजी जिला बालाघाट म.प्र.।
7. व्यक्तिगत नस्ती/सुरक्षा नस्ती/कम्प्यूटर प्रकांष्ठ।

ESTH(CO)



DEC 2003

2247103

  
अ.स. कुलसचिव

**ORDER**

On the recommendations of the Selection Committee, the following candidates are appointed, temporarily, until further orders to the post of Technical Assistant- Plant Breeding & Genetics in the scale of pay Rs. 1500-40-1620-50-2320-60-2680/- (now revised to Rs. 1500-50-2350-50-2710) and posted at the place shown against each :-

S.No.	Name	Place of posting
1.	Shri K.M.S. Raghuvanshi	- AICRP on wheat, ZARS, Powarkheda.
2.	Shri Pradeep Kumar Jain	- AICRP on Breeder Seed Production, Deptt. of P&G, Jabalpur.
3.	Shri Ashok Kumar Saxena	- AICRP on Oilseeds (Groundnut), ZARS, Khargone.
4.	Shri Bhupesh Kumar Verma	- AICRP on Vegetables, Deptt. of Horticulture, Jabalpur.

- The appointment shall be effective from the date they take over charge of the post.
- The appointment is further on the terms and conditions as enclosed.

Checked & Passed,

By order of the Vice-Chancellor,

R.S.A.

(V.P. SHrivastava)  
 REGISTRAR

Dated: 12-6-1989.

Estt.No. Estt. IV/ 2744

Copy forwarded to :-

- The Director of Research Services, JAKVV, Jabalpur.
- The Dean, College of Agriculture, Jabalpur.
- The Head, Department of Plant Breeding & Genetics/ Horticulture, JAKVV, Jabalpur.
- The Associate Director of Research, Zonal Agricultural Research Station, Powarkheda, Distt. Hoshangabad.
- The Senior Scientist, Regional Agricultural Research Station, Khargone.
- The persons concerned. Shri \_\_\_\_\_

for information and necessary action. The joining report and declaration as per condition No.4 should be sent to this office immediately after the incumbent joins duties

ASSISTANT REGISTRAR (ESTT.)

899/83

// ORDER //

24/6

On the recommendation of the selection committee the following candidates are hereby appointed temporarily as Lab.Asstt/Fieldman in the pay scale of Rs. 155/2/2-160-4-180 EB-5-240-6-252 plus allowances as admissible by the Vishwa Vidyalaya from the date they join their duties :-

S.No.	Name and Address	Scheme
1.	Shri M.L. Pare C/o Shri R.K. Pare D.K. Pulse Project As. College, Sehore	Indo-German Research Project, Sub. Station Pipariya.
2.	Shri D.K. Nema, C/o Shri S.K. Nema, Hostal No.1 Room No.7 JNKVV, Adhartal, Jabalpur.	Indo-German Research Project, Sub Station Pipariya.
3.	Shri R.N. Shrivastava C/o R.P. Shrivastava Mariyar Quarter Powarkheda, H'Dad.	Indo-German Research Project, Sub-Station Harda.
4.	Shri Hanumant Singh C/o Sadhna Sari House Hoshangabad.	Indo-German Research Project Sub-Station Harda.

The appointments are subject to the following conditions :-

1. The appointment is temporary and is liable to termination at any time without notice.
2. He is likely to be retrenched in the event of the scheme/ Project/ in which he has been appointed is completed/ terminated.
3. He will have to take in writing an oath of allegiance to the Republic of India alongwith an undertaking to the effect that he will abstain from drinking liquor.
4. His antecedents will be got verified by the Police Authorities, In case anything is found adverse in the report which would render him unfit for service, his appointment will be liable to termination.
5. He will have to produce a certificate of physical fitness from the V.V. Doctor or from Civil Surgeon of the district hospital, Hoshangabad (M.P.)
5. The persons posted under Indo-German Project at Harda/Pipariya are attached to the office of the undersigned, until further orders.

ASSOCIATE DIRECTOR RESEARCH  
Dated 24/6/53 1953

RECEIPT  
No. 1042 Date 25/11/17  
R.A.K. College of Agri. Senore

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

कु.स./स्था.दो/2017/277

दिनांक: 24/11/2017

आदेश

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3-12/2013/1/3, दिनांक 29 सितम्बर 2014 में निहित निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत स्व. श्री महेश टिमरई, चौकीदार, कृषि विज्ञान केन्द्र, राजगढ़ का आकस्मिक निधन दिनांक 07.12.2010 को होने के फतस्वरूप इनके पुत्र श्री हरिओम टिमरई की अनुकम्पा नियुक्ति मृत्यु के पद पर पे बैंड रु. 4440-7440 + ग्रेड पे रु. 1300 में अनुसूचित जाति के अन्तर्गत अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाकर पदस्थापना उनकी उपस्थिति दिनांक से कार्यालय अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, सीहोर के अधीन की जाती है।

नियुक्ति की अन्य शर्तें निम्नानुसार हैं—

1. यह नियुक्ति आदेश पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
2. उक्त शपथ-पत्र के अतिरिक्त सेवा में उपस्थिति प्रस्तुत करने के समय आपको यह शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा की पूर्व से आप शासकीय सेवा में नहीं है और न ही दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र सदस्य पूर्व से किसी भी शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा/निगम, मण्डल परिषद, आयोग आदि में कार्यरत नहीं है। आप दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित समस्त सदस्यों का भरण-पोषण करेंगे। उपरोक्तानुसार उक्त बिन्दुओं का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आपकी उपस्थिति मान्य की जा सकेगी। शपथ-पत्र एवं उक्त बिन्दुओं की जानकारी न देने के अभाव में आपका अनुकम्पा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
3. कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिला चिकित्सा बोर्ड का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण-पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारी से चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों सहित पदस्थी कार्यालय में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को एक बार अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने पर किसी अन्य पद पर नियुक्ति का निवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा और न ही अनुकम्पा नियुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित की जावेगी। यह नियुक्ति आवेदक द्वारा लिखित सहमति के आधार पर दी जा रही है।
5. चरित्र सत्यापन (पुलिस वैरीफिकेशन) करा लिया गया है किन्तु नियुक्ति के पश्चात चरित्र सत्यापन में यदि यह पाया जाता है कि वह शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है तो उसे दी गई अनुकम्पा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
6. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जाती है कि आवेदक दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यह प्रमाणित हो जावेगा कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है, तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जावेगी।
7. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो किसी भी एक फस द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता जमा कराने पर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले वा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं, तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने इस अनुकम्पा नियुक्ति के दिवस ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उन्हें एक माह का वा नोटिस की अवधि में जितना वेतन तथा भत्ता मिले, उतना वेतन तथा भत्ता का भुगतान करना होगा।
8. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जा रही है कि चयनित चयनित व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित अनु-शर्तों का ही विवाह किया है। यदि यह पाया गया कि संबंधित चयनित व्यक्ति द्वारा न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया गया हो तो उसका/उसकी अनुकम्पा नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
9. कोई भी दयनित उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी कोई स्त्री चयनितवापी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी की एक पत्नी पूर्व से जीवित है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तथा उसकी अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
10. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के अपराध के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, अनुकम्पा नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तथा उसकी अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
11. उम्मीदवार को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनांक से वे सभी शर्तें म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं शासनादेश मान्य होंगे जो समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जा चुके हैं अथवा जारी किये जायेंगे।

1/2/1

12. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता की मूल अंक कृतियों इत्यादि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. आवेदक को आदेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर पदस्थी स्थान (कार्यालय) में अनिवार्य रूप से उपस्थिति होकर, कार्यालय प्रमुख को उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
14. राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों का लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाए और उन्हें लागू किया जाये के अधीन रहेगा।
15. उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।

प्रमाणित किया जाता है मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार

(डी.एल. कोरी) 24/1/17

कुलसचिव

दिनांक: 24/01/2017

पृष्ठा क्र./कु.स./स्था.दो/2017/2724

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निदेशक विस्तार सेवाये, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, सीहोर संदर्भित अनुकम्पा नियुक्ति का आदेश सशर्त जारी किया गया है। अतः चयनित दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित को शासकीय सेवा में उपस्थित कराने के पूर्व पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में शपथ-पत्र/पूर्व से आवेदक के शासकीय सेवा में नही होने एवं दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र सदस्य पूर्व से किसी भी शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय/सेवा/निगम, मण्डल, परिषद, आयोग आदि में कार्यरत नही होने एवं दिवंगत शासकीय शासकीय सेवक के आश्रित समस्त सदस्यों का मरण-पोषण करने एवं नियुक्ति प्राप्त करने वाली महिला यदि अविवाहित है तो उन्हें शादी-शुदा नही होने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही कार्यालय में उपस्थिति मान्य करें। यदि यह पाया गया कि वांछित अभिलेखों के अभाव में आपने किसी अभ्यार्थी को नियुक्ति पश्चात् उपस्थित करा लिया है, जो कि नियमानुसार पात्रता नहीं रखता है ऐसी स्थिति में आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराये जायेंगे एवं गलत व्यक्ति को शासकीय सेवा में उपस्थित कराये जाने के फलस्वरूप आपके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं अपात्र व्यक्ति को भुगतान की गई राशि आपसे व्यक्तिगत वसूली योग्य होगी।
4. उप लेखानियंत्रक, भविष्य निधि/अनुभाग अधिकारी/सामान्य/पेंशन/बजट एवं वित्त/गोपनीय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, राजगढ़।
6. उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर
7. श्री हरिओम टिमरई पुत्र स्व. श्री महेश टिमरई खोयरी रोड़, राजगढ़ जिला राजगढ़ 475661।
8. निजसचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
9. आदेश नस्ती/सुरक्षा नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती।

कुलसचिव 24/1/17

(64)

JNKVV-ZONAL AGRICULTURAL RESEARCH STATION  
RAKASOLE OF AGRICULTURE, SEHORE

No/ADPS/Ext- 11/22/22/85

The 24th August, 1985

In the recommendation of the Selection Committee, the following candidates are, hereby, appointed temporarily until further orders on the post of Field Assistant (in the scale of pay of Rs. 575-15-800-27-800)/Lab Assistant (in the scale of pay of Rs. 515-10-575-15-800) as indicated against their names at the places mentioned against their names and the date they report themselves for duty on the terms and conditions appended. All the service conditions will be governed by the rules and regulations of JNKVV. They should report for duty to respective places of their posting within 15 days from the date of issue of this order, failing which the order will stand cancelled.

S.No.	Name & Address	Name of the post	Place of posting
* 1.	Shri L.L. Nampure, Peon C/o Prof. & Head, Department of Extension JNKVV, JABALPUR	Field Assistant	Cost of Cultivation Scheme Through : Head of Department, Agril. Economics & F.M. JNKVV-JABALPUR
* 2.	Shri K.B. Silakari, C/o Shri R.L. Silakari Chakra Ghat BAGAR (MP)	Field Assistant	Cost of Cultivation Scheme Thru H.O.D. Agril. Economics & F.M. JNKVV-JABALPUR
* 3.	Shri Rajendra Singh Yadav C/o Sr. Scientist JNKVV-Agril. Research Station, MORENS (M.P)	Field Assistant	C.C.S. Scheme Thru H.O.D. Deptt. of Agril. Economics & F.M. JNKVV-JABALPUR
* 4.	Shri Kailash Chandra C/o Shri Mand Rao Singh Village & P.O. : Fudra Tahsil-ASTA (SEHORE)	Field Assistant	C.C.S. Scheme Thru H.O.D. Deptt. of Agril. Economics & F.M. JNKVV-JABALPUR
* 5.	Shri P.N. Pithari S/o Shri Mulla Singh Pithari Vill. & Post - Barkheda Kalan, Tah : Nusrullah- Gunj, Distt- SEHORE	Field Assistant	C.C.S. Scheme Thru : H.O.D. Deptt of Agril. Economics & F.M. JNKVV-JABALPUR
* 6.	Shri Ganesha Chandra Bhallani, C/o Shri Hiralal Bhallani Village - Palasi-Khurd Post Office - Nimota Tahsil - Nusrullahgunj SEHORE	Field Assistant	C.C.S. Scheme Thru : Head, Deptt of Agril. Economics & F.M. JNKVV-JABALPUR Pin - 482014 (M.P.)

continued on ...2/-

No.Gen/84/1922

ORDER

On the recommendations of the Regional Selection Committee, Indore, the following persons are hereby appointed temporarily until further orders as D.K./Fieldman in the pay scale of Rs.515-10-575-15-800 plus usual allowances as admissible from time to time and posted under the Cost of Cultivation Scheme.

Name of person	Deptt. in which posting is made
1. Shri A.K. Mishra	Through the Professor & Head, Deptt. of Agril. Economics & Farm Management, JNKVV, Jabalpur.
2. " S.P. Sharma	
3. " M.L. Upadhyaya	
4. " M.D. Soni	
5. " A.P. Pandey	
6. " J.P. Shrivastava	
7. " R.S. Tomar	
8. " S.L. Patel	
9. " S.K. Dubey	
10. " B.S. Kachhi	
11. " D.D. Jayas	
12. " A.K. Singh	
13. " H.S. Parmar	
14. " S.P. Rawal	
15. " K.P. Singh	

The above persons should report to the Professor and Head, Deptt. of Agril. Economics & F.M., JNKVV, Jabalpur for training and further posting to the concerned village clusters.

The appointment shall be on the following terms and conditions

1. The appointment is purely for the "Cost of Cultivation Scheme" and the persons shall have to live in the concerned village cluster and shall not be considered for transfer from the Scheme atleast for five years.
2. The appointment is purely temporary and can be terminated at any time without any notice.
3. The candidate shall have to submit a medical certificate of physical fitness from the C.M.O. or the Vishwa Vidyalyaya/ Civil Surgeon of the District without which he shall not be allowed to draw his salary. In case he is not found physically fit, the appointment shall stand cancelled.
4. The candidate shall have to take oath of allegiance to the Republic of India.
5. The antecedents of the candidate shall be got verified through the police authorities and if any thing derogatory is found about the character of the candidate in the police report, his appointment shall stand cancelled.
6. The order shall stand cancelled, if the candidate does not join his duties within 30 days from the date of this order.
7. The appointee shall be liable to be called back to the college at any time.

Dated 1.3.1984

Endt.No.Gen/84/923

Copy to :

1. The Registrar, JNKVV, Jabalpur 482004
2. The Comptroller, JNKVV, Jabalpur 482004
3. The Director of Research Services, JNKVV, Jabalpur 482004
4. The Professor & Head, Deptt. of Agril. Economics & F.M., JNKVV, Jabalpur 482004
5. The Assoc. Director of Research, Indore 45 2001
6. The Incharge Cost of Cultivation Scheme, Deptt. of Agril. Economics & F.M., JNKVV, Jabalpur 482004

The Person concerned : Shri A.K. Mishra C/o Deptt of Agril  
& F.M. J.N.K.V. V Jabalpur (M.P.) Pin - 48

for information and necessary action.

*[Signature]*  
DEAN 1/3/84

JNKVV ZONAL AGRICULTURAL RESEARCH STATION  
RAK COLLEGE OF AGRICULTURE, SEHORE (M.P.)

ADRS/Estt II/85-86/2628

Dated 16th July 1985

On the recommendation of the Selection Committee, the following candidates are, hereby, appointed temporarily until further orders for the post of Field Assistant in the scale of pay of Rs 575-15-10-20-880 and posted at the places mentioned against their names e.f. the date they report themselves for duty on the terms & conditions appended. All the service conditions will be governed by the rules and regulations of JNKVV. They should report for duty at respective places of their posting within 15 days from the date of issue of this order failing which the order will stand cancelled.

No.	Name & Address	Place of posting
	.Shri P.N.Solanki S/o Shri Jagannath Singh Solanki Village Rampura Khurd, P.O. Siddique Ganj, Teh. Asta (Distt Sehore)	Pulse Project, Sehore RAK College of Agric., Sehore
	.Shri H.N.Sager S/o Shri D.Singh Sager P.O. Jherkheda, Teh & Distt Sehore	Fruit Research Station Berasia Road Eintkhedi Bhopal (M.P.)
	.Shri Kamal Singh S/o Shri Bapoo Lal Village Kundianath, P.O. Kajlas Teh Asta, Distt Sehore	Cost of Cultivation Scheme Vidisha Through H.O.D. Agric. Economics, JNKVV, Jabalpur
	.Shri Nand Lal Kaushal S/o Shri Kishan Lal Kaushal Nuniapuri Ganj Sehore	Cost of Cultivation Scheme Vidisha Through H.O.D. Agric. Economics, JNKVV Jabalpur
	Shri P. S. Malviya s/o Shri Himmad Singh Village Khajuria, P.O. Jawar Teh Asta Distt Sehore	Cost of Cultivation Scheme Vidisha Through H.O.D. Agric. Economics, JNKVV Jabalpur
	.Shri B.S. Meraoti S/o Shri Daulat Singh Village Lasunditya Goel, P.O. Torliya, Teh Ichhawar, Sehore	Cost of Cultivation Scheme Vidisha Through H.O.D. Agric. Economics, JNKVV Jabalpur
	.Shri A.K. Kaushal S/o Shri G.P. Kaushal, Kotwali Chauraha, Main Road, Sehore	Cost of Cultivation Scheme Vidish Through H.O.D. Agric. Economics, JNKVV, Jabalpur
	.Shri Magan Lal Dayma S/o Shri Bal Kishan Dayma Village & P.O. Mardapur Teh Budni Distt Sehore	Wheat Improvement Scheme Vidisha

Report for duty to the Head of the Department of Agricultural Economics JNKVV, Jabalpur

*(Signature)*  
(R.A. Khan) 16/7/85

Associate Director Research

Dated 16th July 1985

ADRS/Estt II /85-86/2639 (IT)

Copy forwarded for favour of kind information and n/a to:

- Director Research Services, JNKVV, Jabalpur
- Registrar/Comptroller, JNKVV, Jabalpur
- Dean College of Agriculture, Sehore
- Head of the Deptt. Agric. Economics, JNKVV, Jabalpur
- Senior Scientist, Pulse Project RAK College of Agriculture, Sehore

m:  
116  
: :  
Shore.  
alpur  
vv, Jb:

- 6. Scientist (PB), Wheat Improvement Scheme Vidisha
- 7. Jr Scientist Fruit Research Station, Eintkhedi, Bhopal
- 8. Employment Officer, Sehore Distt, Sehore (M.P.)

9. Istt / Account ZARS Sehore

10. Person concerned Shri Kamal Singh So Shri Bappa Lal  
village Kundianath

P.O. Koylas

Teh Asta Distt Sehore MP

(R.A.Khan)

Associate Director Research

Terms & Conditions:

- (1) They should report for duty within 15 days from the date of issue of this order
- (2) The appointment can be terminated with one month notice on either side or one month salary in lieu thereof
- (3) The candidate shall have to submit a certificate of medical fitness from JNKVV Chief Medical Officer/Civil Surgeon of the Distt. without which he shall not be able to draw his salary. If he is not found physically fit the appointment shall stand cancelled
- (4) The candidate has to take an oath of allegiance to the Republic of India.
- (5) The candidate will exercise his option for fixed medical Allowance within 30 days from the date of his joining the duties otherwise medical reimbursement facilities will be allowed.

(R.A.Khan)

Associate Director Research  
ZARS, Sehore (M.P.)

*Attched*

*[Handwritten signature]*

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

क्र./कु.स./स्था.-दो/2016/5201

ग्वालियर, दिनांक: 03/08/2016

// आदेश //

चयन समिति की अनुशंसा एवं कुलपतिजी के अनुमोदनोपरान्त श्री किशोर कुमार वल्के S/o श्री लाल सिंह वल्के, ग्राम-रेचना टोला, पोस्ट-बनायार, तह.-केवलारी, जिला-सिवनी 480996 (म.प्र.) को उपयंत्री (सिविल) के पद पर वेतनमान रु. 5000-150-8000 (Revised Pay Scale PB 9300-34800 + GP 3200) पर अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत चयन किया जाकर पद पर उपस्थित होने की दिनांक से अस्थायी रूप से कार्यपालन यंत्री, वर्क सेक्शन, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के अंतर्गत अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, सीहोर के अधीन निम्नलिखित शर्तों के तहत पदस्थ किया जाता है:-

2. नियुक्ति की शर्तें एवं नियम निम्नानुसार होंगी -


- (अ) आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र जॉचोपरान्त गलत या असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।
- (ब) इस आदेश के प्रसारित होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देवे, अन्यथा ये आदेश बिना सूचना के स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- (स) यह नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जा रही है। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि समाप्त कर कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियुक्ति नियमित की जा सकेगी तथा तत्पश्चात ही आगामी वेतनवृद्धि की पात्रता होगी। परिवीक्षा अवधि में उपयंत्री (सिविल) के पद का न्यूनतम वेतनमान देय होगा।
- (द) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह के वेतन जमा करने पर समाप्त की जा सकती है यह शर्त दोनों पक्षों को प्रभावशील रहेगी।
- (इ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थिति होने के तत्संबंधित सक्षम अधिकारी को अर्हता संबंधित मूल दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाण-पत्र, म.प्र. मूल निवासी प्रमाण-पत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (क) उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह की समयावधि में जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसका वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम पाया जाता है तो उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
- (ख) उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कराया जावेगा। यदि चरित्र संबंधी प्रतिकूल टीप प्राप्त होती है, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना सूचना के समाप्त की जावेगी।
- (ग) उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
- (घ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थिति होने की तिथि से एक माह के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी।

Estt  
Dor  
10.8.16.

कृ.उ.

- (च) उक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम के विद्यमान नियमों एवं सेवा शर्तों तथा समय-समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अधीन होगी।
- (छ) उपरोक्त पद पर नियुक्ति कर्मचारियों को शासन द्वारा घोषित नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 01 जनवरी 2005 प्रभावशील होगी।
- (ज) उम्मीदवार की सेवायें विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली किसी भी इकाई/योजना को स्थानांतरित की जा सकेगी।
- (झ) नियुक्ति उपरांत, आवेदक की नियुक्ति से संबंधित कोई भी दस्तावेज यदि फर्जी या गलत पायें जाते हैं तो उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जावेगी तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।
3. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक-21 सन् 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार


  
(एम.ओर. जाटव)  
कुलसचिव

पृष्ठा. क्र./कु.स./स्था.-दो/2016/5402

ग्वालियर, दिनांक: 03/08/2016

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. निदेशक शिक्षण/अनुसंधान सेवायें/विस्तार सेवायें/योजना एवं प्रक्षेत्र विकास एवं प्रभारी कार्यपालन यंत्री, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, सीहोर कृपया नियुक्ति आदेश की शर्तों के अनुसार श्री किशोर कुमार वल्के के सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जाँच उपस्थिति लेने के पूर्व अपने स्तर से सुनिश्चित करें।
4. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
6. श्री किशोर कुमार वल्के S/o श्री लाल सिंह वल्के, ग्राम-रेचना टोला, पोस्ट-बनायार, तह.-केवलारी, जिला-सिवनी 480996 (म.प्र.) की ओर पालनार्थ पदभार ग्रहण करने के पूर्व यदि किसी संस्था/विभाग में कार्यरत है तो उस संस्था/विभाग का कार्यमुक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें, अन्यथा कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी।
7. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. व्यक्तिगत/आदेश/सुरक्षा नस्ती।

  
उप कुलसचिव (स्था.)

श्री लक्ष्मण मालवीय आत्मज श्री रामनारायण निवासी सीहोर का, आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति के बकलाग/करोफावंड पदों की पूर्ति हेतु विराप भर्ती अभियान के अंतर्गत चयन समिति की अनुशासना पर प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी के पद वतनमान रु. 4000-6000/- में अस्थायी रूप से नियुक्त कर उनकी पदस्थापना तेन्दनी फार्म, कृषि अनुसंधान केन्द्र, छिंदवाड़ा में की जाती है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर पृष्ठ 2 पर उल्लिखित शर्तों के अधीन है।

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा, (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (कमांक 21 मन् 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप में संज्ञान कर लिया है।

कुलपतिजी के आदेशानुसार.

कुलसचिव

पृष्ठा. कमांक-स्था.दो/(1)/वि.भ.अ./2003/ 2256  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेपित :-

दिनांक 16 JUL 2003

16-07-03

1. संबंधित संचालक/अधिष्ठाता संकाय/महाविद्यालय।
2. सह संचालक अनुसंधान, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, छिंदवाड़ा। कृपया श्री मालवीय का वेतन वजट शीर्ष D-Agril.Res.Farm, Tendni, Harrai में उपलब्ध प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करें एवं नियुक्ति शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जांच अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
3. लेखा नियंत्रक, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
4. अनुभाग अधिकारी, भविष्य निधि/गोपनीय शाखा, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
5. माननीय कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
6. संबंधित व्यक्ति श्री लक्ष्मण मालवीय, आत्मज श्री रामनारायण मालवीय, दुर्गा मंदिर के पास गल्ला मंडी सीहोर म.प्र.।
7. व्यक्तिगत नस्ती/मुद्रा नस्ती/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

TRUE COPY  
Attested

Senior Scientist  
E.C.F. Scheme,  
Chhindwara (M.P.)

Attested

Attested  
DEAN  
Dr. A. E. College of Agriculture  
SEMORE (M. P.)

Regd  
st

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर

क्रमांक-स्था.दो/(1)/वि.भ.अ./2003/2463

दिनांक 30.7.2003

// आदेश //

कुमारी लक्ष्मी कुटार आत्मजा श्री पच्चीलाल कोरी निवासी जबलपुर को, आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति के बैकलाग/कैरीफावर्ड पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत चयन समिति की अनुशंसा पर शीघ्रलेखक ग्रेड-3 के पद वेतनमान रु. 4500-125-7000/- में अस्थायी रूप से नियुक्त कर उनकी पदस्थापना कृषि महाविद्यालय, रीवा में की जाती है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर पृष्ठ 2 पर उल्लेखित शर्तों के अधीन है।

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा, (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन 1994)के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।



कुलपतिजी के आदेशानुसार,

सहायक  
कुलसचिव

दिनांक 30.7.2003

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित :-

1. संबंधित संचालक/अधिष्ठाता संकाय/महाविद्यालय।
2. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, रीवा। कृपया कुमारी लक्ष्मी कुटार का वेतन बजट शीर्ष B-a-6 College of Agriculture, Rewa में उपलब्ध शीघ्रलेखक ग्रेड-3 के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करें एवं नियुक्ति शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जांच अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
3. लेखा नियंत्रक, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
4. अनुभाग अधिकारी, भविष्य निधि/गोपनीय शाखा, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
5. माननीय कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
6. संबंधित चयनित कुमारी लक्ष्मी कुटार, आत्मजा श्री पच्चीलाल (कोरी), मृदाताला, रंगा चौक, उर्दू स्कूल के पीछे, जबलपुर।
7. व्यक्तिगत नस्ती/सुरक्षा नस्ती/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

सहायक कुलसचिव

(2)

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

क्र./कु.स./स्था.-दो/2016/5397

ग्वालियर, दिनांक: ०३/०८/२०१६

// आदेश //

चयन समिति की अनुशंसा एवं कुलपतिजी के अनुमोदनोपरान्त श्री महेन्द्र जोशी S/o श्री मिश्रीलाल जोशी, 24 आर.सी. पटेल कॉलोनी, दुर्गेशपुरी गली नं. 7, नाका चन्द्रवदनी नहर वाली माता रोड लशकर, ग्वालियर 474009 (म.प्र.) को उपयंत्री (सिविल) के पद पर वेतनमान रु. 5000-150-8000 (Revised Pay Scale PB 9300-34800+GP 3200) पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत चयन किया जाकर पद पर उपस्थित होने की दिनांक से अस्थायी रूप से कार्यपालन यंत्री, वर्क सेक्शन, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के अंतर्गत अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर के अधीन निम्नलिखित शर्तों के तहत पदस्थ किया जाता है:-

2. नियुक्ति की शर्तें एवं नियम निम्नानुसार होंगी -


- (अ) आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र जाँचोपरान्त गलत या असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।
- (ब) इस आदेश के प्रसारित होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देवे, अन्यथा ये आदेश बिना सूचना के स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- (स) यह नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जा रही है। दो वर्ष की परीक्षा अवधि समाप्त कर कार्य के मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियुक्ति नियमित की जा सकेगी तथा तत्पश्चात ही आंगामी वेतनवृद्धि की पात्रता होगी। परीक्षा अवधि में उपयंत्री (सिविल) के पद का न्यूनतम वेतनमान देय होगा।
- (द) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह के वेतन जमा करने पर समाप्त की जा सकती है यह शर्त दोनों पक्षों को प्रभावशील रहेगी।
- (इ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थिति होने के तत्संबंधित सक्षम अधिकारी को अर्हता संबंधित मूल दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाण-पत्र, म.प्र. मूल निवासी प्रमाण-पत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (क) उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह की समयावधि में जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसका वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम पाया जाता है तो उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
- (ख) उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कराया जावेगा। यदि चरित्र संबंधी प्रतिकूल टीप प्राप्त होती है, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना सूचना के समाप्त की जावेगी।
- (ग) उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
- (घ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थिति होने की तिथि से एक माह के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी।

कृ.उ.

- (च) उक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम के विद्यमान नियमों एवं सेवा शर्तें तथा समय-समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अधीन होगी।
- (छ) उपरोक्त पद पर नियुक्ति कर्मचारियों को शासन द्वारा घोषित नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 01 जनवरी 2005 प्रभावशील होगी।
- (ज) उम्मीदवार की सेवायें विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली किसी भी इकाई/योजना को स्थानांतरित की जा सकेगी।
- (झ) नियुक्ति उपरांत, आवेदक की नियुक्ति से संबंधित कोई भी दस्तावेज यदि फर्जी या गलत पाये जाते हैं तो उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जावेगी तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।

3. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक-21 सन् 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार


  
(एम.आर. जाटव)  
कुलसचिव

पृष्ठा. क्र./कु.स./स्था.-दो/2016/5338

ग्वालियर, दिनांक: 03/08/2016

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. निदेशक शिक्षण/अनुसंधान सेवायें/ विस्तार सेवायें/योजना एवं प्रक्षेत्र विकास एवं प्रभारी कार्यपाल यंत्री, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर कृपया नियुक्ति आदेश की शर्तों के अनुसार श्री महेन्द्र जोशी के सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जाँच उपस्थिति लेने के पूर्व अपने स्तर से सुनिश्चित करें।
4. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
6. श्री महेन्द्र जोशी S/o श्री मिश्रीलाल जोशी, 24 आर.सी. पटेल कॉलोनी, दुर्गेशपुरी गली नं. 7, नाका चन्द्रवदनी नहर वाली माता रोड लश्कर, ग्वालियर 474009 (म.प्र.) की ओर पालनार्थ पदभार ग्रहण करने के पूर्व यदि किसी संस्था/विभाग में कार्यरत है तो उस संस्था/विभाग का कार्यमुक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे, अन्यथा कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी।
7. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. व्यक्तिगत/आदेश/सुरक्षा नरती।

  
उप कुलसचिव (स्था.)

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

क्र./कु.स./स्था.-दो/2016/5568

ग्वालियर, दिनांक: 16/12/2016

// आदेश //

सहायक श्रेणी-3 के पद पर चयनित उम्मीदवार के उपस्थित न होने के फलस्वरूप चयन समिति की अनुशंसा एवं कुलपतिजी के अनुमोदनोपरान्त प्रतीक्षा सूची से श्री मनोज अवरथी पुत्र श्री दयानंद अवरथी, एम.आई.जी. 10 ए भवानी धाम फेस-1 नरेला शंकरी अयोध्या बायपास रोड़, भोपाल 462041 (म.प्र) को सहायक श्रेणी-3 के पद पर वेतनमान रु. 3050-75-3250-80-4590 (Revised Pay Scale PB 5200-20200+GP 1900) पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत चयन किया जाकर पद पर उपस्थित होने की दिनांक से अस्थायी रूप से कार्यालय कुलपति, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि.,ग्वालियर में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है:-


2. नियुक्ति की शर्तें एवं नियम निम्नानुसार होंगी -

- (अ) आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र जॉचोपरान्त गलत या असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।
- (ब) इस आदेश के प्रसारित होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देवे, अन्यथा ये आदेश बिना सूचना के स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- (स) यह नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जा रही है। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि समाप्ति कर कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियुक्ति नियमित की जा सकेगी। तत्पश्चात ही आगामी वेतनवृद्धि की पात्रता होगी। परिवीक्षा अवधि में सहायक श्रेणी-3 के पद का न्यूनतम वेतनमान देय होगा।
- (द) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह के वेतन जमा करने पर समाप्त की जा सकती है यह शर्त दोनों पक्षों को प्रभावशील रहेगी।
- (इ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थिति होने के तत्संबंधित सक्षम अधिकारी को अर्हता संबंधित मूल दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाण-पत्र, म.प्र. मूल निवासी प्रमाण-पत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (क) उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह की समयावधि में जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसका वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम पाया जाता है तो उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
- (ख) उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कराया जावेगा। यदि चरित्र संबंधी प्रतिकूल टीप प्राप्त होती है, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना सूचना के समाप्त की जावेगी।
- (ग) उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
- (घ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थिति होने की तिथि से एक माह के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी।

*[Signature]*

- (च) उक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम के विद्यमान नियमों एवं सेवा शर्तें तथा समय-समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अधीन होगी।
- (छ) उपरोक्त पद पर नियुक्त कर्मचारियों को शासन द्वारा घोषित नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 01 जनवरी 2005 प्रभावशील होगी।
- (ज) उम्मीदवार की सेवायें विश्वविद्यालय के अतर्गत आने वाली किसी भी इकाई/योजना को स्थानांतरित की जा सकेगी।
- (झ) नियुक्ति उपरांत, आवेदक की नियुक्ति से संबंधित कोई भी दस्तावेज यदि फर्जी या गलत पाये जाते हैं तो उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जावेगी तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।
3. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक-21 सन् 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार


  
(एम.आर. जाटव)  
कुलसचिव

पृष्ठा क्र./कु.स./स्था.-दो/2016/5569

ग्वालियर, दिनांक: 16/12/2016

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. निदेशक शिक्षण/अनुसंधान सेवायें/विस्तार सेवायें/योजना एवं प्रक्षेत्र विकास, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
4. उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. श्री मनोज अवस्थी पुत्र श्री दयानंद अवस्थी, एम.आई.जी. 10 ए भवानी धाम फेस-1 नरेला शंकरी अयोध्या बायपास रोड़, भोपाल 462041 (म.प्र) की ओर पालनार्थ, पदभार ग्रहण करने के पूर्व यदि किसी संस्था/विभाग में कार्यरत है तो उस संस्था/विभाग का कार्यमुक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी।
6. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर कृपया नियुक्ति आदेश की शर्तों के अनुसार श्री मनोज अवस्थी के सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जाँच उपस्थिति लेने के पूर्व अपने स्तर से सुनिश्चित करें।
7. व्यक्तिगत/आदेश/सुरक्षा नस्ती।

  
उप कुलसचिव (स्था.)

Incumbent

(11) (11)

RICE RESEARCH STATION, KRISHAK NAGAR, LABHANDIH (RAIPUR)

No. Estt/80/

Dated: /12/1980

On recommendations of the selection committee following candidates are appointed temporarily until further orders as Field Assistant in the scale of pay Rs. 155-21-15 EB-5-240-6-252 per month and posted under the scheme and p. noted against their names :-

S.No.	Name of candidate	Place of posting	Scheme under whom posted.	Officer to whom report for duty.
1.	Shri Goverdhanram Sahu	Raipur	N.A.R.P. (against the post of Field Investigator)	Associate Director Research, Raipur.
2.	Ramkhillawan Kushwaha	Jagdalpur	N.A.R.P.	Sr. Scientist, NARS, Agriculture Research Farm, Kumrawand, Jagdalpur.
3.	Ramsharan Verma	-do-	-do-	- do -
4.	Motilal Jagnayak	-do-	-do-	- do -
5.	Mageshwar P. Patel	-do-	-do-	- do -
6.	Ramcharan Verma	-do-	-do-	- do -
7.	Arjunpuri Goswami	Raigarh	ECF Scheme	Asstt. Agronomist, E.C.F. Scheme, Raig
8.	Parsoo Nai	-do-	-do-	- do -
9.	Santooram Tikariha	-do-	-do-	- do -
10.	Masih Bhagat Rai	Raipur	AICRIP	ADR, Raipur.
11.	Ramasharye Singh	Raigarh	E.C.F. Scheme	Asstt. Agronomist, ECF, Raigarh
12.	Hulasram Rathore	-do-	-do-	- do -
13.	Narendrakumar Goswami	Balaghat	-do- (vice S.L. Sahu)	Asstt. Agronomist, E.C.F. Scheme, Balaghat.
14.	Koliram Gond	Raigarh	-do-	-do- Raigarh
15.	Gendlal Mishra	Raipur	N.A.R.P.	ADR, Raipur.
16.	Dharamsingh Chauhan	-do-	-do-	-do-
17.	Gajadhar P. Verma	Raigarh	ECF Scheme	Asstt. Agronomist ECF, Raigarh
18.	Sheonagarain Mishra	Jagdalpur	NARP	Sr. Scientist, Jagdalpur.
19.	Shankarsagar Mali	-do-	-do-	- do -

The appointment is subject to the following terms and conditions :-

1. The appointment is purely temporary and can be terminated on one month's notice at either side or one month's salary in lieu thereof.

Contd.....

राजमाता पि

कुश/रधा.तो

विभागी  
रेंड-तो के  
अप के स  
विभा ज

2. Except the candidates already in the regular service of Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur all the candidates will to produce medical certificate of their Physical Fitness the Civil Surgeon of the district or Medical Officer of JN Krishi Vishwa Vidyalaya, in the prescribed proforma at the of joining.
3. The candidate will have to take an oath of allegiance to the Republic of India in writing.
4. The antecedents of the candidate will be got verified through the police authorities and if any thing repugnant is found about the character of candidate in the police report, the appointment shall be liable for terminations atonce without any notice.
5. Appointment will stand cancelled, if the candidate does not join within 15 days from the date of issue of this order.
6. The appointment shall be governed by all the existing rules and regulations of the JN Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur and those to be framed from time to time.
7. No transfer T.A. is admissible for joining this assignment, to the candidates already in the service of JN KVV.

14.12.80  
 ASSOCIATE DIRECTOR RESEARCH  
 NARP: RAIPUR

No. Estt/80/2746-97

Dated 19/12/1980

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. The Director Research Services, JN Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur-4 (M.P.) 482 004,
2. The Dean, College of Agriculture, Raipur (MP),
3. The Senior Scientist, NARP, Jagdalpur,
4. The Senior Scientist, MP, Bilaspur/Waraseoni/Sagar,
5. The Professor & Head, Deptt. of Plant Breeding & Genetics/Soil Science Agriculture, JNKVV, Jabalpur,
6. The Asstt. Agronomist, BCF Scheme, Raigarh/Balaghat,
7. The Security Officer, Watch & Ward Unit, JNKVV, Jabalpur,
8. The Asstt. Director Agriculture, Research Farm, Kuthulia, Rewa,
9. The Executive Engineer, JN Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur,
10. Persons concerned. *Dr. Narendra Kumar Goswami of Senior Scientist - Intensive Extension and Research Project Sagar (M.P.)*
11. Personal file.

17.12.80  
 ASSOCIATE DIRECTOR RESEARCH  
 NARP: RAIPUR

Smt. Nisha Chauhan

(7)

OFFICE OF THE ADDL. DIRECTOR (ASST. SECY)  
COLLEGE OF AGRICULTURE  
GUALIAR, M.P.

No. 22/82/A dt/2881/2815

Dated. 19/2/82

As per provisions of General Administration Deptt. of M.P. Govt. letter No. 714/567/11472 dt. 1.11.77 **Ms. Nisha Rajput** 7/3 of late Shri Harendra Singh Rajput is appointed temporarily until further order on the post of Asstt. in the pay scale of Rs. 150-4-185-5-240-31-0-370-10-310 in the water management project, Korona with immediate effect. She will report to the undersigned.

Terms and conditions.

- 1/ She will have to produce a medical fitness certificate before joining.
- 2/ She will have to take an oath/allegiance to the republic of India.
- 3/ The services are temporary and liable for termination without any notice.
- 4/ The antecedents of the candidate shall be verified through the police authorities, and if any thing derogatory is found in the character, his/her appointment shall be liable to be terminated at once without any notice.

*Bol*

Copy to:-

- 1/ The Registrar/Controlling Officer, JMAE, Jabalpur.
- 2/ The Director Asst. Services, JMAE, Jabalpur.
- 3/ The Secy, College of Agriculture, Gwalior.
- 4/ The I/c Water Management Project, Korona.
- 5/ Ms. Nisha Rajput 7/3 M.V. Rajput (late), Sharda State Ashram Colony P.O., Lakhnar-Gwalior.
- 6/ The Dy and Account Secy. College of Agriculture, Gwalior.

For information and necessary action.

*Nisha P. 282*

*[Handwritten signature]*

*o/c*

inst or

lan)

this

24/1/86

JAWAHARLAL NEHRU KRISHI VISHWA VIDYALAYA  
JABALPUR

No. 694 /1355/Estt.II

Dated, the 1st April, 1986.

ORDER

On the recommendations of the Selection Committee, the following candidates are hereby appointed temporarily until further orders as Technical Assistant (Agricultural Engineering) in the scale of pay Rs. 900-25-1000-30-1210-40-1450/- and posted at the places mentioned against their names with effect from the date they report themselves on duty on the terms and conditions appended :-

No.	Name	Place of posting
1.	Shri Lalit Kumar Jain	Dryland Agricultural Project, Rewa.
2.	" Naresh Kumar Sharma	Operational Research Project, Sidhi.
3.	" S.P. Singh Sikarwar	Operational Research Project, Guna.
4.	" <u>Pradeep Kumar Sharma</u>	Operational Research Project, Guna.
5.	" Shri Prakash Shrivastava	Operational Research Project, Sidhi.
6.	" Narayan Prasad Chandel	Harijan Area Project (SC/ST Scheme) Bilaspur.

They should report on duty at their respective places of posting within 15 days from the date of issue of this order, failing which the orders will be treated as cancelled.

By order of the Vice-Chancellor,

*V.P. Shrivastava*  
(V.P. Shrivastava)  
Registrar

No. 695 /1355/Estt.II

Dated, the 1st April, 1986. *H.H. Heda*

Copy forwarded to :-

1. The Comptroller, JNKVV, Jabalpur.
2. The Director of Research/Extension, JNKVV, Jabalpur.
3. The Dean, College of Agriculture, Rewa/Gwalior/Raipur.
4. The Dean, Agricultural Engineering, JNKVV, Jabalpur.
5. The Associate Director Research, College of Agriculture, Rewa/Gwalior/Raipur.
6. The Senior Scientist, Dryland Project, Rewa/Agril. Research Station, Bilaspur/Sidhi/Guna.
7. The persons concerned, Shri \_\_\_\_\_

for information and necessary action.

8. Personal file/Guard file.

*V.P. Shrivastava*  
Assistant Registrar (Estt)

JAWAHARLAL NEHRU KRISHI VISHWA VIDYALAYA  
JABALPUR

No. 604/1355/Estt.II

Dated, the 1st April, 1986.

ORDER

On the recommendations of the Selection Committee, the following candidates are hereby appointed temporarily until further orders as Technical Assistant (Agricultural Engineering) in the scale of pay Rs. 900-25-1000-30-1210-40-1450/- and posted at the places mentioned against their names with effect from the date they report themselves on duty on the terms and conditions appended :-

No.	Name	Place of posting
1.	Shri Lalit Kumar Jain	Dryland Agricultural Project, Rewa.
2.	" Naresh Kumar Sharma	Operational Research Project, Sidhi.
3.	" S.P.Singh Sikarwar	Operational Research Project, Guna.
4.	" Pradeep Kumar Sharma	Operational Research Project, Guna.
5.	" Shri Prakash Shrivastava	Operational Research Project, Sidhi.
6.	" Narayan Prasad Chandel	Harijan Area Project (SC/ST Scheme) Bilaspur.

They should report on duty at their respective places of posting within 15 days from the date of issue of this order, failing which the orders will be treated as cancelled.

By order of the Vice-Chancellor,  
*V.P. Shrivastava*  
(V.P. Shrivastava)  
Registrar

No. 695/1355/Estt.II

Dated, the 1st April, 1986.

Copy forwarded to :-

1. The Comptroller, JNKVV, Jabalpur.
2. The Director of Research/Extension, JNKVV, Jabalpur.
3. The Dean, College of Agriculture, Rewa/Gwalior/Raipur.
4. The Dean, Agricultural Engineering, JNKVV, Jabalpur.
5. The Associate Director Research, College of Agriculture, Rewa/Gwalior/Raipur.
6. The Senior Scientist, Dryland Project, Rewa/Agril. Research Station, Bilaspur/Sidhi/Guna.
7. The persons concerned, Shri \_\_\_\_\_

for information and necessary action.  
8. Personal file/Guard file.

*V.P. Shrivastava*  
Assistant Registrar (Estt)

JAWAHARLAL NEHRU KRISHI VISHWA VIDYALAYA  
JABALPUR

TERMS AND CONDITIONS

1. The appointment shall be effective from the date ~~they~~ take over the charge of the post and their ~~services~~ are liable to be transferred in any unit of the ~~JNV~~ located in the State.
2. The appointment can be terminated on one month's ~~notice~~ on either side or one month's salary in lieu thereof.
3. The candidates shall have to submit a medical certificate of physical fitness from the JNKVV Chief Medical Officer or from the Civil Surgeon of the district without which he shall not be able to draw salary. In case he is not found to be physically fit the appointment shall stand cancelled.
4. The candidate shall have to take an oath of allegiance to the Republic of India.
5. The candidate will exercise his option for Fixed Medical Allowance within 30 days from the date of his joining the duties otherwise the medical re-imbusement facilities will be allowed.

for *[Signature]*  
Assistant Registrar (Estt) 11/1/86

## // ORDER //

As per decision of the Board Laboratory Attendants are to be given Promotion on the post of Laboratory Technician to the extent of 15 % on vacant post after observing reservation rules. According to above decision and on the recommendation of the selection committee, the following Laboratory Attendant are promoted/appointed to the post of Laboratory Technician in the scale of pay Rs.4000-100-6000/-, against above quota and posted at the places shown against their names, temporarily, until further orders, from the date he reports on duty at their respective place of posting.

UNDER UNRESERVED CATEGORY

S.No	Name	Present place of posting	Place of posting on promotion
1.	Shri S.S.Deora	College of Agriculture, Sehore	College of Agriculture, Sehore
2.	Shri Gajraj Prasad Rajak	Deptt. of Agronomy, College of Agriculture, Jabalpur	College of Vety.Sci. & A.H., Jabalpur
3.	Shri Prem Narayan Niranjana	College of Agriculture, Sehore	College of Agriculture, Sehore
4.	Shri Lok Chand Patle	Agril.Resarch Station, Waraseoni	Vety. College Jabalpur
5.	Shri Dinesh Singh Chouhan	Deptt. of Plant Physiology, College of Agriculture, Jabalpur	Bio Technology Res.Centre, JNKVV, Jabalpur

SCHEDULED CASTE CATEGORY

1.	Shri Dhaniram Mahobia	Deptt. of Soil Sci.&Agril.Chem., College of Agriculture, Jabalpur	Bio Technology Res.Centre, JNKVV, Jabalpur
----	-----------------------	---	--

He should report on duty at his place of posting within 15 days from the date of issue of this order, failing which this order will be treated as cancelled.

Certified that the V.V. has complied with the provision of the M.P. Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon aur Anya Pichhada Vargon Ke Liya Arakshan) Adhiniyam, 1994 ( No.21 of 1994) and the M.P. Public Services( Promotion) rules 2002 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and rules of the State Govt. and that the V.V. has full cognizance of the provisions of the sub section(1) of section 6 of the said act.

By order of the Vice Chancellor,

*S. J. /*  
REGISTRAR

Dated 26/ /2004

Endt.No.Est.II(B)//2004/ 588

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. The Dean Faculty of Agriculture, /Vety. Sci.& A.H. Jabalpur.
2. The Director of Extension/Research Services, JNKVV, Jabalpur.
3. The Dean, College of Agriculture, Jabalpur./Sehore/Rewa
4. The Dean, College of Vety.Sci. & A.H., Jabalpur
5. The Comptroller, JNKVV, Jabalpur.
6. The ADR/Sr.Scientist, ZARS, Waraseoni.
7. The Head, Deptt. of Soil Science & Agril.Chem./Plant Physiology/Agronomy, College of Agriculture, Jabalpur
8. The Incharge, Bio Technology Res.Centre, JNKVV, Jabalpur.
9. The Asstt.Comptroller(Fund)/S.O.(Confidential Cell)/Budget & Finance JNKVV, Jabalpur.
10. Shri Prem Narayan Niranjana
11. Personal file/ Guard file/ Computer Cell
12. Selection Panel

*S. J. /*  
DY. REGISTRAR

82

*S. J. /*  
*to*  
*to*  
*to*  
*to*  
*4/8/04*

JNKVV-ZONAL AGRICULTURAL RESEARCH STATION,  
RAK-COLLEGE OF AGRICULTURE, SEHORE

No. 8975/ADRS/Estt-II/85-85(4)

The 11th September, 1985  
15/09/85

// ORDER //

On the recommendations of the Selection Committee, the following persons are appointed temporarily until further orders on the post of Laboratory Attendant, in the pay-scale of Rs. 445-10-575-635 and posted at the places against their names with effect from the date they report themselves for duty on the terms and conditions appended. All the service conditions will be governed by the rules and regulations of JNKVV. They should report for duty to respective places of their posting within 15 days from the date of issue of this order, failing which the order will stand cancelled.

S.No.	Name/Address	Post	Place of posting
1.	Mr. Gajraj Prasad Rajak Village-Maharajpur, Adhartal, <u>JABALPUR</u>	Lab. Attendant	Pulse Improvement Project, ZARS, SEHORE
2.	Mr. Mahesh Kumar Shrivastava, Ambah Road Near Cungi Naka Ram Nagar <u>MORENA</u>	Lab. Attendant	NARP, Sub-project ZARS-SEHORE
3.	Mr. Prem Narain C/o Post Office Village-Bhinsa District- <u>SAGAR</u>	Lab. Attendant	Pulse Improvement Project, ZARS, SEHORE
4.	Mr. Satyendra Singh Deora, C/o Mr. Ratan Singh RAK-College of Agriculture, <u>SEHORE</u>	Lab. Attendant	RAK-College of Agriculture, SEHORE
5.	Mr. Lok Chand Patle, S/o Budharji Patle Deptt. of Plant Breeding and Genetics, (RICE SCHEME) <u>JNKVV, JABALPUR</u>	Lab. Attendant	Pulse Improvement Scheme, ZARS SEHORE
6.	Mr. Ashok Kumar Vyas, C/o Mr. K.N. Vyas, Deptt. of Entomology (Library Sorter) RAK-College of Agriculture <u>SEHORE</u>	Lab. Attendant	RAK-College of Agriculture, SEHORE

Maha  
11/9/85  
(R.A. KHAN)  
ASSOCIATE DIRECTOR RESE

Endt/No/\_\_\_/ADR/Estt-II/85-86

The 11th September, 1985

Copy forwarded to the following for information and necessary action please.

1. The Director Research Services, JNKVV, Jabalpur.
2. The Registrar, JNKVV, Jabalpur.
3. The Comptroller, JNKVV, Jabalpur.
4. The Dean, RAK-College of Agriculture,  
The Senior Scientist, Pulse Improvement Project, ZARS, Sehore.
6. The Scientist, NARP, sub-Project, ZARS, Sehore.
7. The Head Department of Plant Breeding & Genetics, JNKVV,  
Jabalpur.
8. Accounts/Establishment Section, College of Agriculture  
Sehore.
9. Accounts/Establishment Section, ZARS, (Research) Sehore.
10. Person~~s~~ concerned : \_\_\_\_\_

*M.A.K.*  
11/9/85

( R.A. KHAN )  
ASSOCIATE DIRECTOR RESEARCH  
ZONAL AGRICULTURAL RESEARCH STATION  
COLLEGE OF AGRICULTURE, SEHORE

18

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्र./कु.स./स्था.दो/2019/1706

ग्वालियर, दिनांक: 10/12/2019

//आदेश//

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर, अंतर्गत पद कोड-54 सहायक ग्रेड-3 सह स्टेनोटाइपिस्ट पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, चयन भवन भोपाल म0प्र0 द्वारा, समूह-4 के अंतर्गत प्राप्त प्रावीण्य सूची अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा गठित दस्तावेज सत्यापन समिति की अनुशंसा एवं कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त श्री पंकज श्रीवास, S/o श्री नाथूलाल श्रीवास-622 अहाता रुस्तम खॉ, श्यामलाहिल भोपाल-462002 (म.प्र.) को सहायक ग्रेड-3 सह स्टेनोटाइपिस्ट के पद पर वेतनमान रु 5200-20200+1900 ग्रेड पे (पुनरीक्षित सातवें वेतनमान लेवल-4 में मूल वेतन रु 19500 + विश्वविद्यालय नियमानुसार भत्तों) पर अनारक्षित/ओपन श्रेणी के अंतर्गत चयन किया जाकर उक्त पद पर उपस्थित होने की दिनांक से अस्थाई रूप से कार्यालय अधिष्ठाता कृषि संकाय, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, रेसकॉर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है:-

2. नियुक्ति की शर्त एवं नियम निम्नानुसार होंगी -

1. यह नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि में अग्रिम वेतनवृद्धियाँ भी स्वीकृत नहीं की जायेंगी।
2. विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-सी-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवंबर 2012 के तहत नियुक्त अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा रहे हैं, अतः इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शपथ पत्र उपस्थिति के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नव नियुक्त अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों पर लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी की सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जायेगी।
3. आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
4. नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनकी शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था का मूल प्रमाणपत्र, मूल अंकसूचियाँ, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाणपत्र, म0प्र0 मूल निवासी प्रमाणपत्र तथा जन्मतिथि, सत्यापन हेतु वांछित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, संबंधित अधिकारी द्वारा सभी प्रमाण-पत्रों की जांच मूल दस्तावेजों के आधार पर पदस्थापना स्थल पर की जावेगी। यदि प्रमाण-पत्रों में कोई विसंगति दिखाई देती है, तो कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व इसकी जानकारी नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् कुलसचिव राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को दी जाकर उनसे परामर्श प्राप्त किया जायेगा एवं प्रस्तुत प्रमाणपत्र सही नहीं पाये जानें की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

क्रमशः.....2

12/19

5. अभ्यर्थी को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनांक से वे सभी शर्त म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 एवं शासनादेश मान्य होंगे जो समय-समय पर शासन द्वारा जारी किए जा चुके हैं अथवा जारी किए जावेंगे जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किया गया हो।
6. नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय मेडीकल बोर्ड से उपयुक्तता (फिटनेस) प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
7. नियुक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता विश्वविद्यालय में पी.ई.बी. भोपाल द्वारा जारी चयन सूची के मेरिट क्रम के अनुसार संधारित होगी।
8. अस्थाई नियुक्ति के दौरान उनकी सेवायें किसी भी समय उभय पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकेंगी।
9. चयनित अभ्यर्थी द्वारा एक माह का नोटिस या उसकी एंवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किया जाकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा। एक माह का वेतन तथा एक माह का नोटिस दिये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उपरोक्त शर्तों के अनुसार देय रकम भू-राजस्व या घकाया देय राशि से वसूल की जा सकेगी।
10. नियुक्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किये जाने पर समय-समय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपस्थित होना अनिवार्य है, साथ ही विहित विभागीय परीक्षा, आदि नियत समयावधि में उत्तीर्ण करना होगी। विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं कार्यों के मूल्यांकन संतोषजनक पाये जाने पर म0प्र0 सिविल सेवा नियम 1961 के नियम 8(6) के अनुसार सेवायें नियमित की जाकर परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर ही वेतनवृद्धि की पात्रता होगी। परिवीक्षा अवधि में नियुक्ति पद का न्यूनतम वेतन देय होगा।
11. राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू किया जाये, के अधीन रहेगा।
12. विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश में प्रविष्ट पदस्थापना स्थल से अभ्यर्थी की सेवायें परिवीक्षा अवधि के दौरान स्थानान्तरित नहीं की जा सकेंगी। परिवीक्षा अवधि समाप्ति पश्चात कर्मचारी की सेवायें विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली किसी भी इकाई/योजना को स्थानान्तरित की जा सकेंगी।
13. "यह नियुक्ति आदेश पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में कोई नियुक्त अभ्यर्थी शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।" कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात निर्धारित प्रपत्र में अनुप्रमाणित प्रपत्र चरित्र सत्यापन हेतु एवं सलग्न शपथ पत्र प्रारूप में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थी अपात्र होंगे—

//3//

- i. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों, इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पूर्व से ही एक पत्नी जीवित हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी तथा उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- ii. कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं/पुरुषों के अपराध के विरुद्ध किसी भी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी तथा उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
- iii. चयनित अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए विहित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, तो उसका/उसकी नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
- iv. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक सन्तान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, परन्तु निरहित नहीं होगा, यदि एक सन्तान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक सन्तान का जन्म होता है उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
15. अभ्यर्थी के शैक्षणिक/व्यवसायिक एवं अन्य प्रमाणपत्रों के प्रकरण में अनर्हता (अयोग्यता) की स्थिति प्रकट होती/बनती है, तो नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी। जिस पर दावा पेश नहीं होगा।
16. अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थिति होने की तिथि से एक माह के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी।
17. अभ्यर्थी का विश्वविद्यालय के बाहर समान पद पर आवेदन अग्रेषित नहीं किया जायेगा। साथ ही समान पद पर अन्य विभाग में नियुक्ति होने पर कार्यमुक्त भी नहीं किया जायेगा।

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक-21 सन् 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार

कुलसचिव 10/12/2019

रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक: 10/12/2019

क्र./कृ.स./स्था.दो/2019/1707


प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अधिष्ठाता, कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. निदेशक शिक्षण/अनुसंधान सेवायें/विस्तार सेवायें, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. सह संचालक अनुसंधान (बीज एवं प्रक्षेत्र), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
4. प्रभारी कार्यपालन यंत्री, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।

क्रमशः.....4

//4//

5. अधिष्ठाता, कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय, ग्वालियर, इन्दौर, सीहोर, खण्डवा एवं मंदसौर।
6. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
7. उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. कार्यालय अधिष्ठाता कृषि संकाय, राजमाता विजयाराजें सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, रेंसकॉर्स रोड मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर कृपया नियुक्ति आदेश की निहित शर्तों के अनुसार चयनित अभ्यर्थी के सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जाँच उपस्थिति लेने के पूर्व अपने स्तर से सुनिश्चित करें एवं वांछित उपयुक्त अभिलेखों के अभाव में आपने किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति पश्चात् उपस्थित करा लिया है, जो कि नियमानुसार पात्रता नहीं रखता है, ऐसी स्थिति में आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
9. श्री पंकज श्रीवास S/o श्री नाथूलाल श्रीवास-622 अहाता रूस्तम खॉ, श्यामलाहिल भोपल-462002 (म.प्र.)की ओर पालनार्थ, पदभार ग्रहण करने के पूर्व यदि किसी संस्था/विभाग में कार्यरत है तो उस संस्था/विभाग का अनापत्ति एवं कार्यमुक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें, अन्यथा कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी।
10. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
11. व्यक्तिगत/आदेश/सुरक्षा नस्ती।

  
उप कुलसचिव (स्था.)  
रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर



क्रमांक-स्था0-दो/(1)/वि.म.अ./2003/2255

दिनांक 16/7/2003

// आदेश //

श्री पवन सिंह, आत्मज श्री मंगल सिंह, निवासी जबलपुर को आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग/कैरीफार्वर्ड पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत चयन समिति की अनुशंसा पर प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी के पद वेतनमान रु0 4000-6000/- में अस्थायी रूप से नियुक्त कर उनकी पदस्थापना उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर में की जाती है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर पृष्ठ-2 पर उल्लेखित शर्तों के अधीन है।

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबन्धों और अधिनियम के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

कुलपतिजी के आदेशानुसार,

कुलसचिव

दिनांक 16/7/2003

पृष्ठ:0 क्रमांक-स्था0-दो/(1)/वि.म.अ./2003/2256

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. संबंधित संचालक/अधिष्ठाता संकाय, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
2. अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर। कृपया श्री पवन सिंह, का वेतन बजट शीर्ष (D-Agriculture Research Farm, Mandsaor) में उपलब्ध प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करें एवं नियुक्ति शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जाँच अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
3. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
4. अनुभाग अधिकारी, भविष्य निधि/गोपनीय शाखा, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. माननीय कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. संबंधित श्री पवन सिंह, आत्मज श्री मंगल सिंह, 153/1, विद्या नगर, जी.सी.एफ. इस्टेट जबलपुर (म.प्र.)।
7. व्यक्तिगत नस्ती/चुरक्षा नस्ती/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

Handwritten notes and signatures on the left margin.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

सहायक कुलसचिव

JAWAHARLAL NEHRU KRISHI VISHWA VIDYALAYA  
JABALPUR

(1)

No. Estt. II/5/(173)/ 2392 Dated, the 8<sup>th</sup> August, 1995

**ORDER**

**Shri Prahlad Singh s/o late Shri Shankarial,**  
Ex-Peck, College of Agriculture, Sehore, is appointed  
on compassionate ground as Peck in the scale of pay  
B. 750-12-570-15-945/- and posted at the College of  
Agriculture, Sehore, temporarily, until further  
orders, with effect from the date he reports on duty  
on the terms and conditions appended.

He should report on duty at his place of posting  
within 15 days from the date of issue of this order,  
failing which the order will be treated as cancelled.

By order of the Vice-Chancellor,

34  
**REGISTRAR**

No. Estt. II/5/(173)/ 2393 Dated, the 8<sup>th</sup> August, 1995  
Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Collector, Jabalpur District, Jabalpur
2. The Dean, College of Agriculture, Sehore
3. The Comptroller, JMKVV Jabalpur
4. The P.S. to Hon. Vice-Chancellor/P.S. to Registrar,  
JMKVV Jabalpur
5. Shri Prahlad Singh s/o late Shri Shankarial, through  
the Dean, College of Agriculture, Sehore
6. Personal file/Guard file.

Encl: Terms and  
conditions

Copy  
**Asstt. Registrar (Estt.)**

...

(S.K. JOSHI)  
ASSISTANT REGISTRAR (ESTT.)

AK  
7  
The Accts / Shri Prahlad Singh  
17.8.95

(64)

JNKVV-ZONAL AGRICULTURAL RESEARCH STATION  
RAK-COLLEGE OF AGRICULTURE, SEHORE

No/AOPS/Extt- 11/2277/85

The 24th August, 1985

On the recommendation of the Selection Committee, the following candidates are, hereby, appointed temporarily until further orders on the post of Field Assistant (in the scale of pay of Rs. 575-15-800-20-800)/Lab Assistant (in the scale of pay of Rs. 515-10-575-15-800) as indicated against their names at the places mentioned against their names w.e.f. the date they report themselves for duty on the terms and conditions appended. All the service conditions will be governed by the rules and regulations of JNKVV. They should report for duty to respective places of their posting within 15 days from the date of issue of this order, failing which the order will stand cancelled.

S.No.	Name & Address	Grade of the post	Place of posting
* 1.	Shri L.L. Nampure, Peon C/o Prof. & Head, Department of Extension JNKVV, JABALPUR	Field Assistant	Cost of Cultivation Scheme Through : Head of Department, Agril. Economics & F.M. JNKVV-JABALPUR
* 2.	Shri K.B. Silakari, C/o Shri R.L. Silakari Chakra Ghat SAGAR (MP)	Field Assistant	Cost of Cultivation Scheme Thru: H.O.D. Agril. Economics & F.M. JNKVV-JABALPUR
* 3.	Shri Rajendra Singh Yadav C/o Sr. Scientist JNKVV-Agril. Research Station, MORENA (M.P)	Field Assistant	C.C.S. Scheme Through H.O.D. Deptt. of Agril. Economics & F.M. JNKVV-JABALPUR
* 4.	Shri Kailash Chandra C/o Shri Mand Rosh Singh Village & P.O. : Pundra Tahsil-ASTA (SEHORE)	Field Assistant	C.C.S. Scheme Through H.O.D. Deptt. of Agril. Economics & F.M. JNKVV-JABALPUR
* 5.	Shri P.N. Pithari S/o Shri Multoo Singh Pithari Village & Post : Parkheda Kalan, Tah : Nasrullah- Gunj, Distt- SEHORE	Field Assistant	C.C.S. Scheme Thru : H.O.D. Deptt of Agril. Economics & F.M. JNKVV-JABALPUR
* 6.	Shri Ramesh Chandra Bhallani, S/o Shri Hiralal Bhallani Village - Palasi-Khurd Post Office - Nimota Tahsil - Nasrullahgunj SEHORE	Field Assistant	C.C.S. Scheme Thru : Head, Deptt of Agril. Economics & F.M. JNKVV-JABALPUR Pin - 482014 (M.P.)

continued on ...2/-

Name/Address	Name of the post	Place
Shri Phu Lal V.S.P. Unit Deptt of Plant Breeding JNKVV-JABALPUR 482004	Lab. Assistant	NARP Sub- JNKVV-April Station, SAGAR (M.P.)
Shri Veerendra Kumar Yadav S/o Shri S.S. Yadav No. 8 Shopping centre, Krishi Nagar colony ADHARTAL JABALPUR.	Lab. Assistant	NARP Sub-Project JNKVV-April Station, BAMBORI SAGAR (M.P.)

Report for duty to the Head, Department of Agril. Economics and Farm Management, JNKVV, Jabalpur.

*Mata*  
24/8/85  
( R.A. KHAN )  
ASSOCIATE DIRECTOR RESEARCH

Order No/\_\_\_\_\_/ADRS/Estt-II/85-86 Date : 24/8/1985

Copy forwarded to the following for information and necessary action please :

- The Director Research Services, JNKVV, Jabalpur.
- The Registrar/Comptroller, JNKVV, Jabalpur.
- The Dean, RAK-College of Agriculture, Sehore.
- The Head, Deptt. of Agril. Economics, & F.M. JNKVV-JABALPUR.
- The Head, Deptt. of Extension & Rural Education, JNKVV-JABALPUR.
- The Sr. Scientist, NARP, Sub-Project Agril. Research Station Bamhori Farm, SAGAR.
- District Employment Officer, District Employment Exchange office, Sehore.
- Establishment/Accounts Section, Zonal Agril. Research Station, R.A.K. College of Agriculture, Sehore.
- Person concerned Shri/\_\_\_\_\_

*Mata*  
24/8/85  
ASSOCIATE DIRECTOR RESEARCH

TERMS & CONDITIONS :

They should report for duty within 15 days from the date of issue of this order.

The appointment can be terminated with one month notice on either side or one month salary in lieu thereof.

The candidate shall have to submit a certificate of medical fitness from JNKVV Chief Medical Officer/Civil Surgeon of the District without which he shall not be able to draw his salary. If he is not found physically fit the appointment shall stand cancelled.

The candidate has to take an Oath of allegiance to the Republic of India.

The candidate will exercise his option for Fixed Medical Allowance within 30 days from the date of his joining the duties otherwise Medical Reimbursement facilities will be allowed.

*Mata*  
ASSOCIATE DIRECTOR RESEARCH

OFFICE OF THE DEAN  
RAK. COLLEGE OF AGRICULTURE:SEHORE (MP)

ORDER NO. Estt/Admn/85/2546

Dated the 13th June, 1985.

On the recommendations of the Selection Committee, Shri Ram Dayal Choudhary S/o Shri Babulal Choudhary, is hereby appointed as Lower Division Clerk in the pay scale of Rs. 315-10-575-15-000, - temporarily from the date of he joins his duty in this office, on the following conditions:-

**TERMS & CONDITIONS**

1. He shall have to take an oath of allegiance to the Republic of India on the date of joining.
2. He shall have to produce Medical fitness certificate from the Civil Surgeon, District, Sehore (M.P.)
3. The candidate should join the post within 15 days (fifteen days) time from the date of issue of order of appointment failing which appointment shall be ineffective and will stand cancelled.
4. The appointment can be terminated on one month notice on either side or one months salary in lieu thereof.
5. The candidate will have to exercise his option for fixed Medical Allowance within 30 days from the date of his joining the duty otherwise the Medical reimbursement facilities will be allowed.
6. The antecedent of the candidate shall be got verified from the police authority and if any thing repugnant is found about the character of the candidate in the police report his appointment shall be liable to be terminated at once without any notice.

sc/-

DEAN  
RAK. COLLEGE OF AGRICULTURE  
SEHORE (MP)

Estt. No. Estt/Admn/85/2548-49 Dated the 13th June, 1985

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Shri Ram Dayal Choudhary, S/o Shri Babulal Choudhary, (Daily Wager Research Office) through the Associate Director Research, RAK. College of Agriculture, Sehore (MP) for information & compliance.
2. The Accounts Section of this office.
3. Personal file/ order file.

DEAN

RAK. COLLEGE OF AGRICULTURE,  
SEHORE (MP)

सहायक

12. सहायक सुरक्षा अधिकारी, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
13. माननीय कुलपतिजी के निज सचिव, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
14. सुरक्षा नस्ती ।

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

(7)

कनांक-स्था-दो/ (1) दिनांक 2003 2248


दिनांक 16/7/2003

**// आदेश //**

श्री रूप सिंह खेड़े, आल्मज श्री चुन्नी लाल खेड़े, निवासी खरगोन जं. आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति के बैकलॉग/कॅरीफॉर्ड पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अनियमन के अन्तर्गत चयन समिति की अनुशंसा पर प्रयोगशाला परिचारक के पद वेतनमान रु 2750-4400/- में अस्थाई रूप से नियुक्त कर उनके पदस्थापना कृषि महाविद्यालय, सीहोर में की जाती है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर पृष्ठ-2 पर उल्लेखित शर्तों के अधीन है।

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (कनांक 21 सन् 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकार में राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

कुलपतिजी के आदेशानुसार,

  
कुलसचिव

पृष्ठानु कनांक-स्था-दो/ (1)/दिनांक/2003/ 2249

दिनांक 16/7/2003.


प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित :-

1. संबंधित संचालक/अधिष्ठाता संचालक, ज.ने.कृ.वि.वि, जबलपुर।
2. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, सीहोर कृपया श्री रूप सिंह खेड़े, का वेतन व्रजट शीर्ष (Ba-6 College of Agriculture, Sehore) में उपलब्ध प्रयोगशाला परिचारक के रिक्त पद के विरुद्ध अर्जित करें एवं नियुक्ति शर्तों के अनुसार सनी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जाँच अपने कार पर सुनिश्चित करें।
3. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
4. अनुभाग अधिकारी, भविष्य निधि/मानवीय शाखा, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. माननीय कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. संबंधित श्री रूप सिंह खेड़े, आल्मज श्री चुन्नी लाल खेड़, ग्राम-नाकडखंडा, तहसील-कतरावद, जिला-खरगोन-451228 (म.प्र.)।
7. व्यक्तिगत नस्ती/सुरक्षा नस्ती/कम्प्यूटर प्रकांड।

3x Read Post

NoEstt/2003/6516 Dated 5/8/2003

Copy to:- The Accounts Section of this office for information and necessary action

  
B. R. V. P. Jaiswal

R. A. K. College of Agriculture  
SEHORE (M. P.)

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

12

क्र./कु.स./स्था.-दो/2016/5378

ग्वालियर, दिनांक: 03/08/2016

// आदेश //

चयन समिति की अनुशंसा एवं कुलपतिजी के अनुमोदनोपरान्त श्री रवि रंगारे S/o श्री चिरकुट रंगारे, स्वर्ण जयंती कॉलोनी, खजरी रोड़, छिन्दवाड़ा-480001 (म.प्र.) को सहायक श्रेणी-3 के पद पर वेतनमान रु. 3050-75-3250-80-4590 (Revised Pay Scale PB 5200-20200+GP 1900) पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत चयन किया जाकर पद पर उपस्थित होने की दिनांक से अस्थायी रूप से कार्यालय अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के अंतर्गत कृषि संकाय के पादप रोग विभाग में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है:-


2. नियुक्ति की शर्तें एवं नियम निम्नानुसार होंगी -

- (अ) आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र जॉचोपरान्त गलत या असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।
- (ब) इस आदेश के प्रसारित होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देवे, अन्यथा ये आदेश बिना सूचना के स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- (स) यह नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जा रही है। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि समाप्ति कर कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियुक्ति नियमित की जा सकेगी। तत्पश्चात ही आगामी वेतनवृद्धि की पात्रता होगी। परिवीक्षा अवधि में सहायक श्रेणी-3 के पद का न्यूनतम वेतनमान देय होगा।
- (द) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह के वेतन जमा करने पर समाप्त की जा सकती है यह शर्त दोनों पक्षों को प्रभावशील रहेगी।
- (इ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थिति होने के तत्संबंधित सक्षम अधिकारी को अर्हता संबंधित मूल दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाण-पत्र, म.प्र. मूल निवासी प्रमाण-पत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (क) उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह की समयावधि में जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसका वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम पाया जाता है तो उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
- (ख) उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कराया जावेगा। यदि चरित्र संबंधी प्रतिकूल टीप प्राप्त होती है, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना सूचना के समाप्त की जावेगी।
- (ग) उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
- (घ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थिति होने की तिथि से एक माह के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी।

कृ.उ.

- (च) उक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम के विद्यमान नियमों एवं सेवा शर्तें तथा समय-समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अधीन होगी।
- (छ) उपरोक्त पद पर नियुक्त कर्मचारियों को शासन द्वारा घोषित नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 01 जनवरी 2005 प्रभावशील होगी।
- (ज) उम्मीदवार की सेवायें विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली किसी भी इकाई/योजना को स्थानांतरित की जा सकेंगी।
- (झ) नियुक्ति उपरांत, आवेदक की नियुक्ति से संबंधित कोई भी दस्तावेज यदि फर्जी या गलत पाये जाते हैं तो उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जावेगी तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।
3. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक-21 सन् 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार


  
(एम.आर. जाटव)  
कुलसचिव

पृष्ठा. क्र./कु.स./स्था.-दो/2016/5379

ग्वालियर, दिनांक: 03/08/2016

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिष्ठाता, कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर, कृपया नियुक्ति आदेश की शर्तों के अनुसार श्री रवि रंगारे के सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जाँच उपस्थिति लेने के पूर्व अपने स्तर से सुनिश्चित करें।
2. निदेशक शिक्षण/अनुसंधान सेवायें/विस्तार सेवायें/योजना एवं प्रक्षेत्र विकास, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. विभागाध्यक्ष, पादप रोग विभाग, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
4. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
6. श्री रवि रंगारे S/o श्री चिरकुट रंगारे, स्वर्ण जयंती कॉलोनी, खजरी रोड़, छिन्दवाड़ा-480001 (म.प्र.) की ओर पालनार्थ, पदभार ग्रहण करने के पूर्व यदि किसी संस्था/विभाग में कार्यरत है तो उस संस्था/विभाग का कार्यमुक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी।
7. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. व्यक्तिगत/आदेश/सुरक्षा नस्ती।

  
उप कुलसचिव (स्था.)

## // ORDER //

As per decision of the Board Laboratory Attendants are to be given Promotion on the post of Laboratory Technician to the extent of 15 % on vacant post after observing reservation rules. According to above decision and on the recommendation of the selection committee, the following Laboratory Attendant are promoted/appointed to the post of Laboratory Technician in the scale of pay Rs.4000-100-6000/-, against above quota and posted at the places shown against their names, temporarily, until further orders, from the date he reports on duty at their respective place of posting.

UNDER UNRESERVED CATEGORY

S.No	Name	Present place of posting	Place of posting on promotion
1.	Shri S.S.Deora	College of Agriculture, Sehore	College of Agriculture, Sehore
2.	Shri Gajraj Prasad Rajak	Deptt. of Agronomy, College of Agriculture, Jabalpur	College of Vety.Sci. & A.H., Jabalpur
3.	Shri Prem Narayan Niranjana	College of Agriculture, Sehore	College of Agriculture, Sehore
4.	Shri Lok Chand Patle	Agril.Resarch Station, Waraseoni	Vety. College Jabalpur
5.	Shri Dinesh Singh Chouhan	Deptt. of Plant Physiology, College of Agriculture, Jabalpur	Bio Technology Res.Centre, JNKVV, Jabalpur

SCHEDULED CASTE CATEGORY

1.	Shri Dhaniram Mahobia	Deptt. of Soil Sci.&Agril.Chem., College of Agriculture, Jabalpur	Bio Technology Res.Centre, JNKVV, Jabalpur
----	-----------------------	---	--

He should report on duty at his place of posting within 15 days from the date of issue of this order, failing which this order will be treated as cancelled.

Certified that the V.V. has complied with the provision of the M.P. Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon aur Anya Pichhada Vargon Ke Liya Arakshan) Adhiniyam, 1994 ( No.21 of 1994) and the M.P. Public Services( Promotion) rules 2002 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and rules of the State Govt. and that the V.V. has full cognizance of the provisions of the sub section(1) of section 6 of the said act.

By order of the Vice Chancellor,

*S. J.*  
REGISTRAR

Dated 26/ /2004

Endt.No.Est.II(B)//2004/ 588

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. The Dean Faculty of Agriculture, /Vety. Sci.& A.H. Jabalpur.
2. The Director of Extension/Research Services, JNKVV, Jabalpur.
3. The Dean, College of Agriculture, Jabalpur./Sehore/Rewa
4. The Dean, College of Vety.Sci. & A.H., Jabalpur
5. The Comptroller, JNKVV, Jabalpur.
6. The ADR/Sr.Scientist, ZARS, Waraseoni.
7. The Head, Deptt. of Soil Science & Agril.Chem./Plant Physiology/Agronomy, College of Agriculture, Jabalpur
8. The Incharge, Bio Technology Res.Centre, JNKVV, Jabalpur.
9. The Asstt.Comptroller(Fund)/S.O.(Confidential Cell)/Budget & Finance JNKVV, Jabalpur.
10. Shri Prem Narayan Niranjana
11. Personal file/ Guard file/ Computer Cell
12. Selection Panel

*S. J.*  
DY. REGISTRAR

82

*S. J.*  
*to*  
*to*  
*to*  
*to*  
*4/8/04*

JNKVV-ZONAL AGRICULTURAL RESEARCH STATION,  
RAK-COLLEGE OF AGRICULTURE, SEHORE

No. 8975/ADRS/Estt-II/85-85(4)

The 11th September, 1985  
15/09/85

// ORDER //

On the recommendations of the Selection Committee, the following persons are appointed temporarily until further orders on the post of Laboratory Attendant, in the pay-scale of Rs. 445-10-575-635 and posted at the places against their names with effect from the date they report themselves for duty on the terms and conditions appended. All the service conditions will be governed by the rules and regulations of JNKVV. They should report for duty to respective places of their posting within 15 days from the date of issue of this order, failing which the order will stand cancelled.

S.No.	Name/Address	Post	Place of posting
1.	Mr. Gajraj Prasad Rajak Village-Maharajpur, Adhartal, <u>JABALPUR</u>	Lab. Attendant	Pulse Improvement Project, ZARS, SEHORE
2.	Mr. Mahesh Kumar Shrivastava, Ambah Road Near Cungi Naka Ram Nagar <u>MORENA</u>	Lab. Attendant	NARP, Sub-project ZARS-SEHORE
3.	Mr. Prem Narain C/o Post Office Village-Bhinsa District- <u>SAGAR</u>	Lab. Attendant	Pulse Improvement Project, ZARS, SEHORE
4.	Mr. Satyendra Singh Deora, C/o Mr. Ratan Singh RAK-College of Agriculture, <u>SEHORE</u>	Lab. Attendant	RAK-College of Agriculture, SEHORE
5.	Mr. Lok Chand Patle, S/o Budharji Patle Deptt. of Plant Breeding and Genetics, (RICE SCHEME) <u>JNKVV, JABALPUR</u>	Lab. Attendant	Pulse Improvement Scheme, ZARS SEHORE
6.	Mr. Ashok Kumar Vyas, C/o Mr. K.N. Vyas, Deptt. of Entomology (Library Sorter) RAK-College of Agriculture <u>SEHORE</u>	Lab. Attendant	RAK-College of Agriculture, SEHORE

Maha  
11/9/85  
(R.A. KHAN)  
ASSOCIATE DIRECTOR RESE

Endt/No/\_\_\_/ADR/Estt-II/85-86

The 11th September, 1985

Copy forwarded to the following for information and necessary action please.

1. The Director Research Services, JNKVV, Jabalpur.
2. The Registrar, JNKVV, Jabalpur.
3. The Comptroller, JNKVV, Jabalpur.
4. The Dean, RAK-College of Agriculture,  
The Senior Scientist, Pulse Improvement Project, ZARS, Sehore.
6. The Scientist, NARP, sub-Project, ZARS, Sehore.
7. The Head Department of Plant Breeding & Genetics, JNKVV,  
Jabalpur.
8. Accounts/Establishment Section, College of Agriculture  
Sehore.
9. Accounts/Establishment Section, ZARS, (Research) Sehore.
10. Person~~s~~ concerned : \_\_\_\_\_

*M.A.K.*  
11/9/85

( R.A. KHAN )  
ASSOCIATE DIRECTOR RESEARCH  
ZONAL AGRICULTURAL RESEARCH STATION  
COLLEGE OF AGRICULTURE, SEHORE

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्र./कु.स./स्था.दो/2019/1723

ग्वालियर, दिनांक: 11/12/2019

//आदेश//


राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर अंतर्गत पद कोड-54 सहायक ग्रेड-3 सह स्टेनोटायपिस्ट पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, चयन भवन भोपाल म0प्र0 द्वारा, समूह-4 के अंतर्गत प्राप्त प्रावीण्य सूची अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा गठित दस्तावेज सत्यापन समिति की अनुशंसा एवं कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त श्री शैलेन्द्र सिंह डोडिया पिता श्री मनोहर सिंह डोडिया, 79, वार्ड नम्बर-4, रबला चैत्रा ग्राम एवं पोस्ट देवला विहार तहसील गुलाना, जिला शाजापुर -465 220 (म.प्र.) को सहायक ग्रेड-3 सह स्टेनोटायपिस्ट के पद पर वेतनमान रु 5200-20200+1900 ग्रेड पे (पुनरीक्षित सातवें वेतनमान लेवल-4 में मूल वेतन रु 19500 + विश्वविद्यालय नियमानुसार भत्ते) पर अनारक्षित/ओपन श्रेणी के अंतर्गत चयन किया जाकर उक्त पद पर उपस्थित होने की दिनांक से अस्थायी रूप से कार्यालय लेखानियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, रिसर्कॉर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है:-

2. नियुक्ति की शर्त एवं नियम निम्नानुसार होंगी -

1. यह नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि में अग्रिम वेतनवृद्धियाँ भी स्वीकृत नहीं की जायेंगी।
2. विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-सी-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवंबर 2012 के तहत नियुक्त अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा रहे हैं, अतः इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शपथ पत्र उपस्थिति के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नव नियुक्त अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों पर लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी की सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जायेगी।
3. आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
4. नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनकी शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था का मूल प्रमाणपत्र, मूल अंकसूचियाँ, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाणपत्र, म0प्र0 मूल निवासी प्रमाणपत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, संबंधित अधिकारी द्वारा सभी प्रमाण-पत्रों की जांच मूल दस्तावेजों के आधार पर पदस्थापना स्थल पर की जावेगी। यदि प्रमाण-पत्रों में कोई विसंगति दिखाई देती है, तो कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व इसकी जानकारी नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् कुलसचिव राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को दी जाकर उनसे परामर्श प्राप्त किया जायेगा एवं प्रस्तुत प्रमाणपत्र सही नहीं पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।


क्रमशः.....2

5. अभ्यर्थी को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनांक से वे सभी शर्तें म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 एवं शासनादेश मान्य होंगे जो समय-समय पर शासन द्वारा जारी किए जा चुके हैं अथवा जारी किए जावेंगे जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किया गया हो।
6. नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय मेडीकल बोर्ड से उपयुक्तता (फिटनेस) प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
7. नियुक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता विश्वविद्यालय में पी.ई.बी. भोपाल द्वारा जारी चयन सूची के मेरिट क्रम के अनुसार संधारित होगी।
8. अस्थाई नियुक्ति के दौरान उनकी सेवायें किसी भी समय उभय पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकेंगी।
9. चयनित अभ्यर्थी द्वारा एक माह का नोटिस या उसकी एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किया जाकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा। एक माह का वेतन तथा एक माह का नोटिस दिये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उपरोक्त शर्तों के अनुसार देय रकम भू-राजस्व या बकाया देय राशि से वसूल की जा सकेगी।
10. नियुक्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किये जाने पर समय-समय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपस्थित होना अनिवार्य है, साथ ही विहित विभागीय परीक्षा आदि नियत समय/अवधि में उत्तीर्ण करना होगा। विभागीय परीक्षा-उत्तीर्ण होने एवं कार्यों के मूल्यांकन संतोषजनक पाये जाने पर म0प्र0 सिविल सेवा नियम 1961 के नियम 8(6) के अनुसार सेवायें नियमित की जाकर परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर ही वेतनवृद्धि की पात्रता होगी। परिवीक्षा अवधि में नियुक्ति पद का न्यूनतम वेतन देय होगा।
11. राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू किया जाये, के अधधीन रहेगा।
12. विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश में प्रविष्ट पदस्थापना स्थल से अभ्यर्थी की सेवायें परिवीक्षा अवधि के दौरान स्थानान्तरित नहीं की जा सकेंगी। परिवीक्षा अवधि समाप्ति पश्चात कर्मचारी की सेवायें विश्वविद्यालय के अतंगत आने वाली किसी भी इकाई/योजना को स्थानान्तरित की जा सकेंगी।
13. "यह नियुक्ति आदेश पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में कोई नियुक्त अभ्यर्थी शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।" कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात निर्धारित प्रपत्र में अनुप्रमाणन प्रपत्र चरित्र सत्यापन हेतु एवं संलग्न शपथ पत्र प्रारूप में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थी अपात्र होंगे—



- i. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों, इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पूर्व से ही एक पत्नी जीवित हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी तथा उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
  - ii. कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं/पुरुषों के अपराध के विरुद्ध किसी भी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी तथा उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
  - iii. चयनित अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए विहित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, तो उसका/उसकी नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
  - iv. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक सन्तान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि एक सन्तान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक सन्तान का जन्म होता है उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
15. अभ्यर्थी के शैक्षणिक/व्यवसायिक एवं अन्य प्रमाणपत्रों के प्रकरण में अनर्हता (अयोग्यता) की स्थिति प्रकट होती/बनती है, तो नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी। जिस पर दावा पेश नहीं होगा।
  16. अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थिति होने की तिथि से एक माह के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी।
  17. अभ्यर्थी का विश्वविद्यालय के बाहर समान पद पर आवेदन अग्रेषित नहीं किया जायेगा। साथ ही समान पद पर अन्य विभाग में नियुक्ति होने पर कार्यमुक्त भी नहीं किया जायेगा।
- मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक-21 सन् 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार

  
कुलसचिव 01/12/19

रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक: //12/2019

क्र./कु.स./स्था.दो/2019/1724

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अधिष्ठाता, कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. निदेशक शिक्षण/अनुसंधान सेवायें/विस्तार सेवायें, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. सह संचालक अनुसंधान (बीज एवं प्रक्षेत्र), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
4. प्रभारी कार्यपालन यंत्री, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।

//4//

5. अधिष्ठाता, कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय, ग्वालियर, इन्दौर, सीहोर, खण्डवा एवं मंदसौर।
6. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
7. उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. कार्यालय लेखानियंत्रक, राजमाता विजयाराजें सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, रेसकॉर्स रोड मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर कृपया नियुक्ति आदेश की निहित शर्तों के अनुसार चयनित अभ्यर्थी के सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जाँच उपस्थिति लेने के पूर्व अपने स्तर से सुनिश्चित करें एवं वांछित उपयुक्त अभिलेखों के अभाव में आपने किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति पश्चात् उपस्थित करा लिया है, जो कि नियमानुसार पात्रता नहीं रखता है, ऐसी स्थिति में आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
9. श्री शैलेन्द्र सिंह डोडिया पिता श्री मनोहर सिंह डोडिया, 79, वार्ड नम्बर-4, रबला चैत्रा ग्राम एवं पोस्ट देवला विहार तहसील गुलाना, जिला शाजापुर -465 220 (म.प्र.) की ओर पालनार्थ, पदभार ग्रहण करने के पूर्व यदि किसी संस्था/विभाग में कार्यरत है तो उस संस्था/विभाग का अनापत्ति एवं कार्यमुक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें, अन्यथा कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी।
10. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
11. व्यक्तिगत/आदेश/सुरक्षा नस्ती।

*A. S. S. S. S.*  
उप कुलसचिव (स्था.)  
रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर  
10/12/19

JAWAHARLAL NEHRU KRISHI VISHVA VIDYALAYA  
JABALPUR

No. 300.IV/ 2054

Dated: 3rd June, 1989

ORDER

On the recommendations of the Selection Committee, the following candidates are appointed temporarily, until further orders to the post of Technical Assistant - Extension Education & Rural Sociology in the scale of pay Rs. 1500-40-1620-50-2320-60-2630/- (now revised to Rs. 1500-50-2050-60-2710) and posted at the place shown against each.

S.No.	Name	Place of posting
1.	Shri Hemant Kumar Awasthi	Krishi Vigyan Kendra, Jabua.
2.	Shri Vishu Prashan Sharma	Directorate of Extension Services, JKV, Jabalpur.
3.	Shri Prilochan Singh	Regional Agril. Research Station, Raigarh
4.	Shri Deepak Kumar Shrivastava	Directorate of Extension Services, JKV, Jabalpur
5.	Shri Purushottam Thakur	Agril. Research Station, Seoni.
6.	Shri Prachayar Sharma	College of Agriculture, Mandla.
7.	Shri Raj Singh Kuchwaha	College of Agriculture, Rewa.

The salary of the incumbent at S.No. 2 to 7 shall be drawn from Budget Head "4-1 Extension (Plan).

- The appointment shall be effective from the date they take over charge of the post.
- The appointment is further on the terms and conditions as enclosed.

By order of the Vice-Chancellor,

*(Signature)*


(V.P. SRIVASTAVA)  
REGISTRAR

Contd.... 2.

*(Signature)*

*(Signature)*  
DEAN

A. A. K. College of Agriculture  
Jabalpur



f. y. 65-  
1/11  
20  
26.6.89

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

स्था.दो/ (1)/2008/

दिनांक 03/2008

// आदेश //

कुमारी वर्षा उईके आत्मजा श्री दीनाप्रसाद उईके को चयन समिति की अनुश्रानुसार उद्यानिकी सहायक के पद पर रु. 4000-100-6000/- पर अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उद्यानिकी मंडल, मन्दासौर में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है।

नियुक्ति की शर्तें एवं नियम निम्नानुसार होगी :-

- (अ) आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र जॉचोपरान्त गलत या असत्या पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।
- (ब) इस आदेश के प्रसारित होने की दिनांक से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देवे, अन्यथा ये बिना सूचना के स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- (स) यह नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जा रही है। दो वर्ष की परीक्षा अवधि समाप्ति पर कार्यो के मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियुक्ति नियमित की जा सकेगी तथा तत्पश्चात ही आगामी वेतनवृद्धि की पात्रता होगी। परीक्षा काल अवधि में उद्यानिकी सहायक के पद का न्यूनतम वेतनमान देय होगा।
- (द) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह के वेतन जमा करने पर समाप्त की जा सकती है, यह शर्त दोनों पक्षों को प्रभावशील रहेगी।
- (इ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने के समय तत्संबंधित सक्षम अधिकारी को आर्हता संबंधित मूल दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाण-पत्र, म0प्र0 मूल निवासी प्रमाण-पत्र एवं विकलांग प्रमाण-पत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (क) उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह की समयावधि में विश्वविद्यालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसका वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम पाया जाता है तो उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
- (ख) उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कराया जावेगा। यदि चरित्र संबंधी प्रतिकूल टीप प्राप्त होती है, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जावेगी।
- (ग) उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
- (घ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जावेगी।
- (च) उक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम के विद्यमान नियमों एवं सेवा शर्तों तथा समय-समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अधीन होगी।
- (छ) उपरोक्त पद पर नियुक्त कर्मचारियों को शासन द्वारा घोषित परिभाषित अशंदापन पेंशन योजना प्रभावशील होगी।
- (ज) उम्मीदवार की सेवाएं विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली किसी भी इकाई/योजना में स्थानांतरित की जा सकेगी।

3. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक- 21 सन् 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

कुलपतिजी के आदेशानुसार

कुलसचिव

दिनांक 22/03/2008

क्रमांक स्था.दो/ (1)/2008/ 30

प्रतिलिपि सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित:-

1. संचालक अनुसंधान सेवाएं, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, मन्दासौर। कृपया कुमारी वर्षा उईके का वेतन बजट शीर्ष B (6)11, College of Horticulture, Mandsaur में उपलब्ध उद्यानिकी सहायक के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करें एवं नियुक्ति शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जांच अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
3. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
4. सहायक लेखानियंत्रक भविष्य निधि/बजट एवं वित्त/पेंशन/गोपनीय, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. सहायक कुलसचिव (सामान्य), ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. माननीय कुलपतिजी/कुलसचिव के निज सचिव, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
7. संबंधित अभ्यर्थी कुमारी वर्षा उईके आत्मजा श्री दीनाप्रसाद उईके मुकाम+पोस्ट-कुण्डाली कलौ, तहसील-परासिया, जिला-छिन्दवाडा (म0प्र0)। कृपया पदभार ग्रहण करने के पूर्व यदि किसी संस्था/विभाग में कार्यरत है तो उस संस्था/विभाग से कार्यमुक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी।
8. व्यक्तिगत नस्ती/सुरक्षा नस्ती।

E. S. S. S.

सहायक कुलसचिव (स्था.दो)

कं.स्था.दो/बी/173/2003/

दिनांक 17/2003

// आदेश //

वि.वि. के विद्यंगत सहायक श्रेणी-2 स्वर्गीय श्री एच.पी.रजक के पुत्र श्री विजय कुमार रजक को म.प्र.शासन में प्रचलित नियम जो कि इस वि.वि. द्वारा अंगीकृत है के अनुरूप अनुकम्पा के आधार पर सहायक ग्रेड-3 के पद के लिये मा.क. 3050-75-3950-80-4590/- पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक नियुक्त कर कृषि महाविद्यालय, सीहोर में पदस्थ किया जाता है यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं दो वर्ष की परिर्वाक्षा अवधि पर पृष्ठ 2 पर उल्लेखित शर्तों के अधीन है ।

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा, (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( ) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है ।

श्री विजय कुमार रजक इस आदेश के प्रसारित होने की दिनांक से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देंगे, अन्यथा यह आदेश विना सूचना के स्वयं निरस्त माना जावेगा ।

कुलपति जी के आदेशानुसार  
[Signature]  
कुलसचिव

कं.स्था.दो/बी/ 173/ 2003/ 2436

दिनांक 30/7/2003

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. अधिपताता, कृषि महाविद्यालय, सीहोर । कृपया पृष्ठ 2 पर उल्लेखित शर्तों के अनुसार आगम कार्यवाही सुनिश्चित करें । \*
2. के.एम.ओ.के., जे.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर ।
3. महापठक, कृषि विज्ञान, भविष्य विधि विभाग अधिकारी, पी.एम.ओ., कृ.वि.वि., जबलपुर ।
4. महापठक, कृषि विज्ञान, श्री विजय कुमार रजक, आत्मज स्व.श्री एच.पी.रजक, ग्राम-इंदरखोरा, जिला-सिंदखोरा, बैरगढ़, म.प्र. ।
5. [Signature] महापठक, कृषि महाविद्यालय, सीहोर ।

[Signature]  
कुलसचिव

[Handwritten signature and date]  
3-2-03